जनगर्जन

वर्ष 24 अंक 12 मासिक नई दिल्ली अगस्त-2010 विक्रमी संवत्-2067 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक-शुल्क: 60रुपये

कश्मीर जल रहा है, सरकार मूक दर्शक बनी

देवब्रत बिश्वास, महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक

निश्चित रूप से कश्मीर जल रहा है। पिछले दो महीनों से जनता के आंदोलन और सड़कों पर जारी हिंसा चरम पर पहुँच चुकी है। अनियंत्रित गोलीबारी, लाठीचार्ज, अश्रुगैस का प्रयोग पुलिस और सीआरपीएफ के लोग करते जा रहे हैं। अब तक 11 जून 2010 से 60 नागरिक मारे जा चुके है। सड़कों पर विशाल जनसमूह उमड़ता है जो कर्फ्यू का उल्लंघन करता है, पत्थर फेंककर अपना विरोध जताता है इसे देखकर ऐसा लगता है कि जनता और सुरक्षा बलों में युद्ध हो रहा है। जबकि राज्य और केन्द्र सरकारें असहाय स्थिति में मूक दर्शक बनी हुई है। भोले-भाले लोग जख्मी हो रहे है और मारे जा रहे है, जबकि बसें सार्वजनिक सम्पत्ति और पुलिस थाने जलाये जा रहे हैं। उफने हुये इस असंतोष की प्रमुख बात यह है कि पुलिस विरोधी अभियान में मूलरूप से नौजवान, छात्र लिप्त है। बहुत से किशोर और अल्पकिशोर जो 10 से 16 वर्ष के है घायल हुये है और मारे गये है। हाल के समय में सैकड़ों ऐसे मामले उजागर हुये है जिसमें मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हुआ है और इस कारण नौजवानों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है। असंतुष्ट छात्र और भूखे बेरोजगार नौजवान सरकार के खिलाफ आयोजित इन रैलियों में भाग ले रहे हैं, जिन्हें सरकार लाठियों और गोलियों से शान्त कराना चाहती है। जिसका नतीजा लोगों के जानमाल का नुकसान हो रहा है और जो बहुत खेदजनक है।

केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने सदन में 6 अगस्त 2010 को एक बयान दिया जिसके अनुसार वर्ष 2004 से 2009 तक (वर्ष 2008 को छोड़कर) एक भी जन असंतोष की घटना नहीं हुई थी और आज जम्मू कश्मीर में हालात सबके सामने है। उन्होंने आगे यह भी कहा 'शांति वार्ता' कुछ राजनैतिक दलों और महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच केन्द्र सरकार कर रही थी, जिससे काफी राहत मिलती। परन्तु उन्होंने शान्ति वार्ता के असफल होने पर कुछ भी नहीं बोला और वर्तमान असंतोष पर भी मौन रहे।

वास्तविकता यह है कि पुराने अलगाववादी एक नये रूप में पुन: सक्रिय हो गये है और कश्मीर घाटी में आजादी या भारत छोड़ों के स्वर उठने लगे है।

ऐसा केन्द्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों का प्रतिफल है। यह अपनी सुरक्षाबलों पर भरोसा करते है कि ये सुरक्षा बल जनता की पीड़ा और अपेक्षा का हल निकाल लेंगे। लगातार सुरक्षाबलों की संख्या में कटौती की मांग होती रही जिसे नजरअंदाज किया गया। वहीं अब कड़े जनविरोध के बाद केन्द्र ने बलों की संख्या में कटौती के संकेत दिये है। जिसे और पहले किया जा सकता था। आर्म्ड फोरसेज स्पेशल पावर एक्ट का जम्मू कश्मीर की जनता ने कड़ा विरोध किया अब राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस कानून में सुधार चाहते है, जिसका लम्बे समय से केन्द्र सरकार ने विरोध किया है। इस तरह केन्द्र और राज्य सरकार के बीच दरार पड़ी हुई है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उमर अब्दुल्ला ने सार्वजनिक रूप से केन्द्र सरकार से इस कानून को रद्द करने की मांग कर डाली।

अपने 14 अगस्त 2010 के भाषण में मुख्यमंत्री ने कुछ और विषय भी उठाये, उन्होंने राज्य की स्वायत्तता की वकालत की और कहा कि "केन्द्र सरकार को अपने सभी संदेह दूर कर राज्य की जनता के बीच पिछले छ: दशकों से आयी खाई को पाटने का कार्य शुरू करना चाहिये। मैं सोचता हूँ कि स्वायत्तता प्रदान कर इस खाई को पाटा जा सकता है और जनता का विश्वास जीता जा सकता है। मैं केन्द्र सरकार से इस दिशा में उचित कदम उठाने की अपील करता हूँ।" केन्द्र सरकार को तुरन्त राज्य की मुख्यमंत्री के उक्त बयान पर प्रतिक्रिया देनी चाहिये।

वास्तविकता तो यह है कि 'विश्वास की कमी' का मुद्दा अब बहुत पुराना हो चुका है। जब मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण में राज्य के 50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी कुछ महिनों में दिये जाने की घोषणा करते समय जनता ने उनपर जूते फेंके, हो सकता है यह किसी हताश व्यक्ति का कार्य हो जिसकी सराहना नहीं की जा सकता। हाँ इसे राज्य सरकार की नीतियों के विरोध के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि विपक्ष के नेताओं में प्रमुख गिलानी ने हाल में बयान दिया कि कश्मीर की रूचि अब विकास के नाम पर आने वाले पैकेजों पर नहीं है, बल्कि हम तो अपना राज्य चाहते है। केन्द्रीय गृहमंत्री के आश्वासन जिसमें समानता, न्याय और सम्मान सभी वर्गो को दिया जायेगा (सदन दिये हुये बयान के अनुसार) का प्रभाव नहीं के बराबर पड़ा। प्रधानमंत्री महोदय ने कश्मीर के आंदोलनों को शांत करने के दृष्टि से सभी पार्टियों की संयुक्त बैठक बुलाई परन्तु इससे भी कोई राहत नहीं मिली। सुरक्षा बलों का वहाँ की जनता के ऊपर चलने वाला अत्याचार जारी है।

हम चाहते है कि वहाँ सही मायने में अविलम्ब राजैतिक वार्ता शुरू हो अपने दल की तरफ से कोलकाता में संपन्न हुये 2-4 जुलाई 2010 को केन्द्रीय कमिटी की मीटिंग में यह प्रस्ताव पास कर चुके है। जम्मू कश्मीर की जनता के मानवाधिकारों के संदर्भ में जैसे फर्जी मुठभेड़, जनता के ऊपर सुरक्षा बलों के अत्याचार और 'अलगाववादियों और आतंकवादियों' के नाम पर अमेरिका की दखलअंदाजी के ऊपर, और राज्य सरकार जम्मू कश्मीर की जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के विषय पर सम्मेलन चाहते है। कश्मीर के लोग न्याय का अविलम्ब पैकेज चाहते है।

संसद में महँगाई का मुद्दा शीर्ष पर

गत 27 से 30 जुलाई 2010 को संसद के मानसून सत्र में चार दिन तक गतिरोध बना रहा, पूरा विपक्ष बढ़ती कीमतों और महँगे पेट्रोलियम उत्पादों के विषय पर चर्चा की मांग करता रहा। यह गतिरोध इस बात पर एक सहमति के आधार पर समाप्त हुआ कि दोनों सदनों में इस विषय पर देश की अर्थव्यवस्था पर मुद्रा स्फिति का दबाव और आम आदमी पर इसके पड़ने वाले दुष्प्रभाव की चर्चा होगी। इस प्रकार दोनों ही सदनों में देश में व्याप्त अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि की चर्चा एक बार और हुई।

हाल के समय में यह एक रीत बन गई है कि संसद के सत्रों में तेजी से बढ़ती महँगाई और चर्चा होती है क्योंकि गत दो वर्षों से बढ़ती कीमतों पर लगाम नहीं लग पा रही है। वास्तव में पूरे देश में इस महँगाई के विरोध में आंन्दोलन हो रहे हैं, लोकसभा में चर्चायें हो रही हैं, हर बार संसद में तूफानी चर्चा के बाद माननीय कृषि एवं खाद्य मंत्री अपना लम्बा चौड़ा उत्तर देते है जिनके बाद अक्सर माननीय प्रधानमंत्री या माननीय वित्त मंत्री या योजना आयोग के उपाध्यक्ष इस मुद्दे पर तुरन्त राहत मिलने का आश्वासन दिया करते हैं, जबकि कीमतों पर लगाम लगना असम्भव सा बना रहता है। पिछले दो या तीन वर्षों से महँगाई ने आम आदमी को तबाह किया है, और उस तबाही को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि ने और अधिक गम्भीर बना दिया है। इस वृद्धि से अर्थतंत्र पर मुद्रा स्फिति का दबाव बढ़ा है, अवांछनीय मूल्य वृद्धि से आम लोगों का जीवन तबाह हो रहा है। इस तरह आम आदमी को राहत पहुँचाने के लिए कई अन्य कदम उठाने की मांग के साथ पेट्रोलियम उत्पादों में हुई मूल्यवृद्धि को तुरन्त वापस लेने की मांग करते है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के विनियमन पर ढील का बूरा प्रभाव मूल्यवृद्धि पर देखा जा रहा है।

विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कम मूल्य पर खाद्यान्न और अन्य उपयोगी वस्तुएं सिर्फ बीपील धारकों को ही नहीं बल्कि अत्यन्त दयनीय स्थिति में रहने वाले एपीएल धारकों को भी मिलना चाहिये। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि के समक्ष नौकरी करने वाले व्यक्ति की तनख्वाह में वृद्धि आंशिक हुई है। फिर देश के लाखों बेरोजगार युवकों के दुर्भाग्य का क्या कहना। बीपीएल धारक और एपीएल धारक दोनों को कम मूल्य पर खाद्यान्न दिया जाना चाहिये, जबकि सरकार इन्हें अनदेखा कर रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नेटवर्क को बढ़ाने के बजाय खाद्य मंत्री और भारतीय खाद्य निगम को यह मंजूर की लाखों टन अनाज उनकी उपेक्षा से नष्ट हो जाये। यह अपने आप में आघात पहुँचाने वाला अनुभव है की एक तरफ पूरा देश भूखे लोगों को देख रहा है वहीं दूसरी तरफ खाद्यान्न बर्बाद हो रहा है। इस विषय पर उच्चत्तम न्यायालय के कड़े निर्देशों और सुझावों जैसे इन खाद्यान्नों को सड़ने के बजाय भूखे लोगों को मुफ्त बांट दिया जाय, के बावजूद सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

संभवत: बेशकीमती खाद्यान्नों के नष्ट होने का मामला अपराधिक मामला बनता है, जिसे महज उपेक्षा प्राप्त समस्या नहीं कहा जा सकता है। हम सरकार से यह नहीं मांग कर रहे है कि खाद्यान्न लोगों को मुफ्त बांट दिया जाये बल्कि हम सरकार से यह मांग करते हैं कि राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इन्हें वितरित करने के लिये दिया जाये। बाजार पर भी इसका साकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ में यह भी कहना पड़ेगा की अप्रत्याशित रूप से मूल्य वृद्धि के पीछे हमारा असफल कृषि क्षेत्र भी जिम्मेवार है। कृषि मंत्रालय के निराशाजनक कार्यप्रणाली से कृषि उत्पाद से भारी गिरावट आई है। इस मंत्रालय के तर्क सूखा या अनियमित मानसून जैसे समझ के परे है। समय आ चुका है जब सरकार खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। जब तक एक राजनैतिक मजबूत इच्छाशक्ति के साथ इस समस्या से नहीं लड़ा जायेगा, बढ़ती कीमतों पर लगाम नहीं लग सकती।

लगातार विपक्ष की मांगों को अनदेखा कर सभी आवश्यक वस्तुओं के वायदा कारोबार पर सरकार अंकुश नहीं लगा रही है। बढ़ती कीमतों के पीछे यह भी एक बड़ा कारण है, जिसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

अप्रत्याशित रूप से होने वाली मूल्यवृद्धि एक राष्ट्रीय विपदा बन चुकी है, ऐसा हमारे सदन महसूस कर रहे है। जिस विपदा का सबसे बड़ा शिकार गरीब आम आदमी है। हम सरकार से सही मायने में उचित कदम उठाने और हर संभव प्रयास करने की मांग करते हैं।

नेता नहीं चाहते, जनता आजाद हो...!

● जयंत वर्मा ●

15 अगस्त 2010 को भारतवासी 64वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। अँग्रेजी हुकूमत ने कानून बनाकर जल, जंगल और जमीन को जनता से छीन लिया तथा आर्थिक रूप से उन्हें गुलाम बनाया था। इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए स्वाधीनता आन्दोलन हुआ। सर्वाधिक बलिदान आदिवासियों ने दिया क्योंकि उनका अस्तित्व प्रकृति पर ही आश्रित था तथा उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अँगेजी हुकूमत से जबर्दस्त संघर्ष किया। आदिवासियों के बलिदान को ब्रिटिश शासक और उसके चाटूकार इतिहासकारों ने लिपिबद्ध नहीं किया। आदिवासियों के विद्रोह से हार मानने के बाद फिरंगियों ने आदिवासी बहुल इलाकों को कानून से मुक्त क्षेत्र घोषित किया। जल, जंगल, जमीन पर आश्रित अन्य गैर आदिवासियों ने आजीविका के संसाधन छीनने के लिए अंग्रेजी शासकों ने निरंकुश नौकरशाही कायम की और उसे भरपूर वेतनदेकर 'हुक्म का गुलाम' बना लिया। राजसत्ता के संरक्षण में काम करते हुए नौकरशाही ने जनता पर भारी जुल्म और ज्यादतियां की। समाज दो वर्ग में बंट गया।

ब्रिटिश हुकूमत में फल-फूल रहे राजे-रजवाड़े, जमींदार, मालगुजार, वकील, दलाल, मुनाफाखोर, सरकारी नौकर आदि को वे सभी कानून लाभकारी लगते थे, जिनके जरिये आम जनता का आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक शोषण हो रहा था। यह वर्ग सत्ता के हस्तांतरण वाली आजादी चाहता था, जिसमें शोषणकारी व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले कानून यथावत् कायम रहें ताकि सत्तासीन होने के बाद वे भी जनता का उसी प्रकार शोषण करते रहें जैसा फिरंगियों ने किया।

दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा था जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के साथ उन सभी कानूनों को बदलने का भी आतुर था, जिनके माध्यम अंग्रेजी शासन भारतवासियों का खून चूस रहा था। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, सरदार भगत सिह, चन्द्रशेखर आजाद, स्वामी सहजानन्द सरस्वती जैसे क्रान्तिकारी नेता शोषणकारी व्यवस्था को खत्म कर लोक-कल्याणकारी व्यवस्था कायम करने के पक्षधर थे। अँग्रेजी हुकूमत ने सत्ता का हस्तांतरिण उस वर्ग के हाथ में दिया, जिसने उन्हें भारत में अपना पैर जमाने में मदद की थी।

भारतवासियों ने संविधान बनाया, जिसमें लगभग 100 संशोधन हो चुके है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रित्मक गणराज्य कायम करने के लिए संविधान में

नागरिकों को कुछ मूल-अधिकार दिए गए तथा भाग-चार में शासन के मूलभूत तत्व लिपिवद्ध किए गए। संविधान में विधायिका और कार्यपालिका को यह निर्देश है कि वह कानून बना कर पुरूष एवं स्त्री सभी नागरिकों के लिए समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करे। समुदाय के भौतिक संसाधन अर्थात् - जल, जंगल और जमीन का स्वामित्व इस प्रकार बांटा जाए ताकि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। यह भी निर्देश है कि राज्य समुचित कानून बनाकर यह सुनिश्चित करेगा कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो।

इन स्पष्ट निर्देशों के विपरीत 64 वर्षों में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जल, जंगल और जमीन की लूट के लिए जो कानून बनाए गए थे, असंवैधानिक होने के बावजूद उन्हें बदला नहीं गया है। 1927 का भारतीय वन कानून, 1861 का भारतीय पुलिस कानून, 1894 को भूमि अधिग्रहण कानून, अपराधिक न्याय व्यवस्था से संबंधित असंख्य कानून आज भी बरकरार है। अंग्रेजी हुकूमत के राजनीतिक दल का इरादा उन्हें बदलने का नहीं है। यह प्रमाणित करता है कि आजादी के बाद केन्द्र और राज्यों की विधायिका में सदा ऐसे वर्ग का बहुमत रहा है, जो जनता को आर्थिक रूप से गुलाम रखना चाहता है। अर्जुन सेनगुप्ता की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि भारत की 77 पफीसदी आजादी आजादी के 60 वर्ष बाद भी 20 रुपये प्रतिदिन से कम आय पर गुजारा कर रही है।

विडम्बना तो यह है कि संविधान में लिखे शासन के मूलभूत तत्व के अनुसार व्यवस्था की मांग करने वाले लोग नक्सवादी घोषित कर दिए गए है। जल, जंगल और जमीन का स्वामित्व और नियंत्रण समुदाय के हित में हो यह मांग करने वाला वर्ग वर्तमान व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। स्पष्ट है कि सत्ता जिस वर्ग के हाथ में है वह लूट की अपनी संवैधानिक कार्यवाही के विरोध में किसी प्रकार का अवरोध पसंद नहीं करता और राजसत्ता की ताकत का गलत इस्तेमाल करके संविधान के अनुसार व्यवस्था की मांग करने वालों का दमन करना चाहता है।

आजादी की 63वीं सालगिरह पर हम यह उम्मीद करते हैं कि अब जनचेतना तथा जनता को आर्थिक रूप से गुलाम बनाए रखने वाले वर्ग को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से हटा देने के लिए जनता संगठित होगी।

शिक्षा पर अखिल भारतीय कन्वेंशन

शिक्षा के केन्द्रीयकरण, निजीकरण और व्यासायिकरण रोकने के आह्वान

नई दिल्ली 13 अगस्त 2010 को मावलंकर हॉल में छात्रों, अध्यापकों, विश्वविद्यालयों कर्मचारियों, अभिभावकों, युवाओं और वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित किया गया। ऑल इण्डिया स्टुडेन्ट्स ब्लॉक एवं ऑल इण्डिया यूथ लीग सहित अन्य कई संगठनों द्वारा सुयंक्त रूप से कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। कन्वेंशन में संप्रग-द्वतीय की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

कन्वेंशन को कई सांसदों - सीताराम येचुरी (सीपीएम), डी. राजा (सीपीआई), डॉ. बरूण मुखर्जी (फारवर्ड ब्लॉक) और अबनी रॉय (आरएसपी) - सहित पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा मंत्री प्रो. सुदर्शन रॉय चौधरी और छात्र एवं युवा नेताओं ने संबोधित किया।

कन्वेंशन में शिक्षा की सुरक्षा का नेशनल फोरम के गठन का प्रस्ताव बनाया गया और 2 दिसम्बर 2010 को देश के अलग-अलग राज्यों को सम्मिलित करके विशाल केन्द्रीय रैली के करने का आह्वान किया गया।

कन्वेंशन में निम्नलिखित मांगों को लेकर संघर्ष करने का आह्वान किया गया:

- शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कम से कम 6 प्रतिशत हिस्सा खर्च करो, जैसा यूपीए-1 के साझा न्यूनतम कार्यक्र में कहा गया था।
- पूर्व-प्राथमिक से उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षा को शिक्षा के अधिकार के कानून के अंतर्गत लाओ। केन्द्र सरकार इस कानून को लागू करने का पूरा खर्चा वहन करे। स्कूलों की संख्या में वृद्धि करो और साथ-साथ उन पर सामाजिक निगरानी के तरीके विकसित किए जाएं जिनमें थानीय लोगों की भागीदारी हो।
- अच्छे शिक्षकों को स्थायी तौर पर नियुक्त करो। शैक्षित और गैर शैक्षित पदों में भर्ती पर लगी रोक हटाओ। निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में सहयोग के नाम पर सरकारी संस्थानों की संपत्ति और प्रबंधन निजी हाथों में सौंना बंद करो।
- फीस वृद्धि रद्द करो। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को शत्-प्रतिशत सरकारी मदद दो।
- निजी और सेल्फ-फाईनांस संस्थानों पर सामाजिक नियंत्रण लगाने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाओ।
- संविधान मेमं निहित अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए आरक्षण को सभी शिक्षण संस्थानों में लागू करो।
- संसद, विधान सभाओं और विश्व विद्यालयों तथा कॉलेजों के वैधानिक ढाँचों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने के तमाम प्रयासों (एनसीएचईआर जैसे विधेयक आदि सहित) के खिलाफ एक हो। शिक्षा के केन्द्रीकरण का विरोध करो।
- शिक्षा में विदेशी पूँजी निवेश का विरोध करो।
- एफईआई विधेयक रद्द करो और अन्य हॉल के विधेयकों में जरूरी संशोधन करें।
- निजी विश्वविद्यालयों और निजी संस्थानों की डीम्ड यूनिवर्सिटी मान्यतायें समाप्त करो।
- सार्वभौमिक जीवंत प्रयंत दूरस्थ शिक्षा के लिए इनफॉरमेशन टेक्नॉलोजी का इस्तेमाल करो। दूरस्थ शिक्षा का बाजारीकरण बंद करो।
- मूल्यांकन बेहतरी के लिए किया जा, न कि फंडिंग के लिए। मूल्यांकन के लिए जनवादी व पारदर्शी तरीका अपनाओ।
- शिक्षा के क्षेत्र में लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करो। छात्र संघों और शिक्षक तथा गैर शिक्षण एसोसिएशनों का चुनाव कराओ। सारी निर्णायक समितियों में निर्वाचित प्रतिनिधित्व प्रदान करो। ?

राष्ट्रीय परिचर्चा : यूरोपीय संघ, इजरायल के साथ मुक्त व्यापार समझौते का भारतीय कृषि पर प्रभाव

भारत सरकार ने यूरोपीय संघ और इजरायल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय ले लिया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच नौ दौर की वार्ता पहले ही पूरी हो चुकी है। जिसका जिक्र भारत सरकार ने मीडिया या हमारी में संसद में भी नहीं किया। किसान संगठनों और राज्य सरकारों के विरोध के बावजूद बीते वर्ष में भारत सरकार ने एशियन के साथ समझौता किया। जबकि भारत-एशियन और भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के विपरित प्रभाव से हम भली-भांति अवगत है। एक और 56वां मुक्त व्यापार समझौते के आने से हमारी कृषि व्यवस्था को बहुत गहरा आघात पहुँचेगा।

इस हस्ताक्षर से होने वाले आघात से होने वाले प्रभाव से किसान और कृषि संगठन की चिंतायें बढ़ती जा रही है। उनकी यह चिन्ता जायज भी है क्योंकि हमारे देश के किसानों की स्थिति यूरोपीयन किसानों जिन्हें उनके देश की सराकर ने अधिक से अधिक सब्सीडी देकर काफी सक्षम बना रखा है, से मुकाबला नहीं कर सकते। यूरोप के कृषि उत्पाद और डेयरी उत्पादों के बिना किसी सीमाशुक्ल के प्रवेश से भारतीय बाजार पूरी तरह बर्बाद हो जायेगा और हमारे देश में ही भारतीय कृषि उत्पाद उपेक्षित हो जायेगा।

मुक्त व्यापार समझौते मिथक और सच्चाई पर चर्चा के लिये चारों वामपंथी पार्टीयों के किसान संगठनों - अग्रगामी किसान सभा (महासचिव साथी बीर सिंह महतो), अखिल भारतीय किसान सभा (महासचिव साथी के. बरद राजन), अखिल भारतीय किसान सभा (महासचिव अतुल कुमार अनजान) और संयुक्त किसान सभा (महासचिव राजेश कुमार राजू) - ने 29 जुलाई 2010 को मुक्ति धारा ऑडिटोरियम, 18-19, भाई बीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली में गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, आयात-निर्यात विशेषज्ञ, भारत सरकार के अधिकारी और किसान नेताओं ने भाग लिया। जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव ग्रहण किया गया।

प्रस्ताव

कृषि संकट और वैश्विक आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार जिस तरह से मुक्त व्यापार समझौते कर रही है, इस परिचर्चा में शामिल प्रतिनिधिगण और संगठन, सरकार की इस कार्यवाही पर गंभीर चिन्ता प्रकट करते हैं। इस मुक्त समझौते के कारण कृषि संकट और भी गहरा हो जायेगा जिसका अत्यधिक बुरा प्रभाव किसानों, मजदूरों और अन्य गरीबों पर पड़ेगा।

विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र की विफलता ने ठहराव पैदा कर दिया है, जिससे अनेकों कोशिश करने के बाद भी उबरा नहीं जा सका है। बातचीत के दोहा चक्र की असफलता का तात्कालिक कारण यूरोपीयन यूनियन और अमेरिका द्वारा विवादास्पद मुद्दों पर सहमत न होना था, विशेषतौर से कृषि अनुदान के बारे में। विश्व व्यापार संगठन वार्ताओं के दोहा चक्र की विफलता के संदर्भ में मुक्त व्यापार के परिदृश्य के भीतर मुक्त व्यापार समझौतों का एक खतरनाक विकल्प बनकर सामने आया है।

मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय समझौतों से इस माने में बहुत ही भिन्न है कि इन समझौतों में सभी तरह के मुद्दे शामिल हो जाते है - जैसे व्यापार सामग्री तथा सेवा क्षेत्र में निवेश और सरकार द्वारा अनाज की खरीद वगैरह। वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में यूरोपीयन यूनियन के विकसित पूँजीवादी और अमेरिका बहुत ही सावधान है और अपने संकट का भार हमारे जैसे देशों पर थोपना चाहते हैं। विकसित पूँजीवादी देश विकासशील देशों के साथ ज्यादा से ज्यादा द्विपक्षीय समझौता कर मुक्त व्यापार के एजेन्डा को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा है। ये द्विपक्षीय समझौते विकासशील देशों द्वारा डब्ल्यू.टी.ओ. जैसे बहुपक्षीय मंचों पर एकता को तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ विकसित पूँजीवादी देश ही नहीं बल्कि भारत जैसे देश के शासक वर्ग भी इस विचार को बड़े उत्साह से अपना रहे हैं। भारत के शासक वर्ग की विश्व बाजार में हिस्सेदारी पाने और मुनाफा लूटने की लालच उसे मुक्त व्यापार के रास्ते पर ढकेल रहा है।

मुक्त व्यापार समझौतों और विश्व व्यापार संगठन के तहत पहले ही व्यापार वार्ताओं के बीच फर्क यह है कि डब्ल्यू.टी.ओ. क तहत बहुपक्षीय वार्ताओं से अपनी विषय वस्तु के आम दायरे में उपलब्ध रहने के कारण अपेक्षाकृत खुले स्वरूप में रहती थीं वहीं मुक्त व्यापार समझौतों की बातचीत गोपनीयता के घेरे में रहती हैं। कांग्रेस नेतृत्व की संप्रग सरकार ने इन मुक्त व्यापार समझौतों की वास्तविक विषयवस्तु के बारे में संसद व राज्य सरकारों को भी अंधेरे में रखा है। अब सरकार यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे रही है और इजरायल व जापान से किये जाने वाले समझौतों समेत ऐसे 56 समझौते होने की बात है। अलग-अलग विकासशील देशों द्वारा डब्ल्यू.टी.ओ. में खारिज हो गये मुद्दों को आगे बढ़ाने के चलते विकसित देश अधिक से अधिक द्विपक्षीय समझौते कर रहे हैं। ऐसे द्विपक्षीय समझौतों के पीछे राजनीति यह है कि डब्ल्यू.टी.ओ. जैसे बहुपक्षीय मंचों पर दिखाई पड़ी विकासशील देशों की एकता को तोड़ा जाये। सरकार की कोशिशों से साफ है कि वह विकसित देशों के पक्ष में झुक रही हैं। जो भारी तादाद में ऐसे समझौतों को करने के उसके मंसूबों से स्पष्ट है गोपनीय तरीकों से मुक्त व्यापार समझौतों पर अंधाधुंध हस्ताक्षरों से कुछ गंभीर चिन्ताएं सामने आती है।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता और कृषि वस्तुओं का व्यापार:

भारत व यूरोपीय संघ के बीच कुल व्यापार में कृषि एक बहुत ही छोटा घटक है। कृषि व्यापार के मामले में यूरोपीय संघ के साथ भारत में उसका स्थान 12वाँ है। 2007 में यह स्थान 41वाँ था। इसकी मुख्य्य वजह उत्पादन शक्तियों के मेल न खाने में थी। यूरोपीय संघ प्रमुखत:, तिलहन, फल, काफी, चाय, मशालों आदि का आयातक है। भारत जिनका निर्यात करता है। मगर यूरोपीय संघ द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं जैसे स्पिरिट, सिरका, बेवरेज, डेयरी उत्पाद, शहद, तम्बाकू आदि भारत में प्राथमिक आयातित कृषि वस्तुएं भी हैं। कृषि में यूरोपीय संघ शुद्ध रूप से कच्चे माल का आयातक है और 2007 में उसको वैश्विक कमी या घाटा 25 विलियन यूरो था। तथापि, तैयार कृषि उत्पादों के मामले में यूरोपीय संघ के शुद्ध निर्यात में उसका लाभ 2007 में 205 बिलियन यूरो था। भारत बासमती चावल, प्रसंस्कृत फलों व सब्जियों आदि का निर्यात यूरोपीय संघ को करता रहा है। यूरोपीय संघ से निर्यात के संदर्भ में हालिया दौर में गेहूँ का स्थान काफी ऊपर रहा क्योंकि घरेलू कमी के चलते 2006-07 में भारत को गेहूँ का निर्यात करना पड़ा। मुक्त व्यापार के समझौते के बाद यूरोपीय संघ, भारत को कच्चे माल के निर्यात और तैयार कृषि व खाद्य सामानों के आयात के लिए मजबूर करना चाहता है। यूरोपीय संघ डेयरी, काफी, चाय व मांस जैसे तैयार उत्पादों केक भारत में निर्यात को बढ़ाने की कोशिश करेगा जो भारत द्वारा आयात सामानों की वरीयता सूची में ऊपर नहीं है। यूरोपीय संघ के नजरिये से भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का प्रमुख जोर भारत में बुनियादी वस्तुओं के आयात में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी में इजाफा करना है क्योंकि यह विश्व की सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाजारों में है। मुक्त व्यापार समझौते का समूचा जोर इस स्थिति को दुरूस्त करना है। उनकी कोशिश अपने सब्सीडी वाले सस्ते गेहूँ और डेयरी उत्पाद को भारत जैसे बाजार में भेजना है। इससे भारत को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन अन्य अनेक विकासशील देशों के

साथ भी ऐसा मुक्त व्यापार समझौता कर रहा हैं, इसलिये भारत को अगर कुछ लाभ भी होगा तो वह थोड़े समय के लिए क्योंकि उसे अनेक देशों के सस्ते पैदावारों के साथ यूरोपीयन यूनियन के बाजार में प्रतियोगिता करनी होगी। तब भारत के शासक वर्गों को मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने की क्यों इतनी जल्दी है? उनकी नजर सेवा क्षेत्रों के खुलने की है जिससे भारत के इजारेदार घरानों को अपने निवेश और मुनाफा की संभावना बढ़ायेगी। लेकिन मुनाफा की इस लालच में भारत के किसानों, मजदूरों और गरीबों के हित की बलि चढ़ा रहे हैं।

शुल्कों में जबर्दस्त कटौती और बढ़ता आयात

भारत-यूरोपीयन मुक्त व्यापार का मकसद जहाँ 90 फीसदी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय शुक्कों को शून्य या उसके बराबर तक नीचे ले आने का है वहीं यूरोपीय संघ के किसानों द्वारा प्राप्त की रही भारी कृषि सब्सीडी को कायम रखना है। इसके चलते यूरोपीय संघ को अपने सब्सीडाइज्ड कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में भर देने के काम को जारी रखना सुनिश्चित करेगा। जाहिर है कि ऐसी कोई मदद हासिल न करने वाले भारतीय किसान मुकाबले काम कहीं नहीं टिक पायेंगे। भारतीय उद्योग व कृषि की हिफाजत करने वाले शुक्ल अवरोधों को जहाँ हटाया जा रहा हैं वहीं यूरोपीय संघ इजीनियरिंग व साइकोसेनेटरी स्टैण्डर्स जैसे गैर शुल्कीय अवरोधों के इस्तेमाल के साथ ही कृषि में भारी सब्सीडी का इस्तेमाल का इस्तेमाल कर रहा है। डब्ल्यू.टी.ओ. की शुल्क वार्तायें, पाबन्द दरों (अधिकतम दरों) पर थीं जो वास्तविक लागू दरों से अलग हैं। यूरोपीय संघ की पाबन्द दरें भारत की तुलना में (यूरोपीय संघ 15.9 पतिशत 2009 में), भारत 114.2 प्रतिशत 2009 में) बहुत ही कम है। मुक्त व्यापार समझौते की शुल्क को शून्य या उसके आस-पास ले आने की प्रतिवद्धता का मतलब है कि भारत को जबर्दस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले ही यूरोपीय संघ को होने वाले कृषि निर्यात का 29.9 प्रतिशत ड्यूटी फ्री है और शेष उत्पादों में भी यूरोपीय शुक्ल कम है। इसीलिए भारत के कृषि निर्यात में मुश्किल से ही कोई इजाफा होगा जबकि यूरोपीय संघ के निर्यात को बड़ी छलांग लगाने को मिलेगी।

करोड़ों डेयरी किसानों के लिए मौत का फरमान

यूरोपीय संघ बहुत ही आक्रामक अन्दाज में भारत के डेयरी क्षेत्र को खोलने की दलीले देता रहा है। उसका दावा है कि आयातित खाद्य उत्पादों पर भारत में बहुत अधिक टैक्स लगाया जाता है। यूरोपीय डेयरी कंपनियों ने ज्यादा करों को भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के सबसे प्रमुख बाधा के रूप मे चित्रित किया है। भारत के डेयरी के क्षेत्र में अनुमानित 9 करोड़ लोग लगे हैं जिनमें बहुमत महिलाएं है। दक्षिण एशिया को प्रभावित करने वाले आर्थिक मुद्दों पर नजर रखने वाले सेन्टर फार ट्रेड एण्ड डेवलेपमेन्ट के अध्ययन के मुताबिक भारत के डेयरी क्षेत्र को खोलने का सबसे बुरा महिलाओं पर पड़ेगा। डेयरी क्षेत्र में लगी महिलाओं की तादाद अनुमानित 7.5 करोड़ है। यह क्षेत्र छोटे व सीमान्त किसानों तथा भूमिहीनों गरीबों के करोड़ों परिवारों के लिए आमदनी का एक श्रोत है। गैर बराबरी वाले समझौतों के चलते सहकारी दुग्ध संघों और महिला समूहों का एक व्यापक संजाल खतरे में आ जायेगा।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार, ट्रिप्स सम्बन्धित प्रतिबाध्यताएं व मुक्त समझौते के अनुकूल कानून

बौद्धिक सम्पदा के संदर्भ में यूरोपीय संघ ट्रिप्स प्लस प्रावधान व भारतीय पेटेन्ट व कापीराइट कानूनों के पूर्ण लेखन की मांग कर रहा है। ट्रिप्स के साथ बौद्धिक सम्पदा कानूनों पर प्रतिवाद्यता, सस्ती दरों पर दवाओं की उपलब्धता, बीजों तक किसानों की पहुँच व ज्ञान तक पहुँच के मामले में भारत की क्षमता को प्रभावित करेगी जिससे, लोगों की आजीविका के साथ ही चिकित्सा, खेती व शिक्षा व शोध पर विपरीत असर पड़ेगा। यूरोपीय संघ और जापान पेटेन्ट संरक्षण को 5 वर्षों तक बढ़ाना चाहते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. के तहत डेटा एक्सक्लुसिविटी आवश्यक नहीं थी और इन तमाम कोशिशों का मकसद पेटेन्ट के दायरों को बढ़ाकर 22 वर्षों की ट्रिप्स में तय मियाद के बाद भी अपनी इजारेदारी को बनाये रखना है। अगर इसे स्वीकार किया जाता है तो इससे कीमतें बढ़ेंगी और जेनेरिक दवाओं को बढ़ाकर में लाने की प्रक्रिया में देरी होने के साथ दवा कंपनियों की इजारेदारी बनी रहेगी। यूरोपीय संघ यह भी चाहता है कि भारत अपने उस तमाम फार्मास्युटिकल (दवा इत्यादि के) निर्यात को जाली ब्राण्ड करे जो यूरोपीय संघ के पेटेन्ट कानूनों के मुताबिक नहीं है। बहुत से लोगों का ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं गया है कि मुक्त व्यापार समझौते के पहले कानूनों के उसके अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक जल्दबाजी दिखाई गयी।

सावधानीपूर्वक अगर हाल के निर्णयों और प्रस्तावित विधेयकों का अध्ययन किया जाये तो इस प्रवृत्ति को दर्शाता है। जिसमें शामिल है - बीज विधेयक, कीटाणुनाशक प्रबन्धन विधेयक, फर्टीलाइजर में न्यूट्रीएण्ट, बेस्ड रिजीम और प्रोटेक्शन एवं यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फण्डेड इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी बिल 2008 आदि यूरोपियन यूनियन और जापान दोनों भारत पर इस बात के लिए दबाव दे रहा हैं कि इन्टरनेशनल यूनियन फार दी प्रोटेक्शन ऑफ न्यूवैराइटीज आफ प्लान्ट्स-1991 में यह किसानों के अपने खेतों में बीजों और पौधों को फिर से रोपने, बढ़ाने, खेतों में दुबारा डालने, बचाने, आपस में आदान-प्रदान करने, किसी के साथ हिस्सेदारी करने या बेचने के किसानों के अधिकार पर बहुत ही गंभीर समझौता करने वाला है। यूपोव व्यापार - सम्बंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार (ट्रीप्स) से भी आगे जाने वाला समझौता है। पेस्टीसाइड मैनेजमेन्ट बिल के द्वारा जो एग्रो -केमिकल इण्डस्ट्री के लिए खास तौर से आंकड़ें उपलब्ध कराये गये है, वह स्पष्ट तौर से यह इंगित करता है कि यूरोपीयन युनियन -मुक्त व्यापार समझौता के अनुकूल है। इन मुक्त व्यापार समझौतों के नियमावलियों से यह गम्भीर चिन्ता पैदा होती है कि सरकारी खरीदों पर साथ ही भारत के बाजार को फालतू और अति सस्ती पैदावारों से पाट देने की कोशिश है।

सबसे सपंदीदा राष्ट्र की हैसियत तथा विशेष एवं अलग तरह का व्यवहार

भारत और यूरोपीयन यूनियन के बीच का प्रस्तावि मुक्त व्यापार समझौता यह जरूरी मानता है कि हमे यूरोप के देशों के सबसे पसंदीदा राष्ट्र की हैसियत स्वत: प्रदान करनी होगी और भारत ने किसी दूसरे देश को मुक्त व्यापार समझौता के अंतर्गत जो भी सुविधा दी है वह अपने आप यूरोपियन यूनियन को भी मिल जायेगा। हॉलांकि बहुराष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत भारत को जो विशेष और अलग तरह की सुविधा मली हुई है वह यूरोपीयन यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के तहत समाप्त हो जायेगी। क्योंकि यह समझौता पूरी, 'बराबरी' की मांग करता है। यह विश्व व्यापार संगठन में भारत की इस मांग से बिल्कुल विपरीत होगा जिसमें भारत अपने बाजार में निम्नतम तटकर पर दूसरे देशों के मालों - पैदावारों में प्रवेश का पुरजोर विरोध करता है। अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर भारत में गैर-कृषि बाजार प्रवेश की वार्ता के संदर्भ में विशेष और अलग तरह के व्यवहार की प्रणाली की मान्यता को निश्चित किया था, जहाँ विकसित देश तटकरों में भारी कटौती की मांग कर रहे थे। इस तरह यह मुक्त व्यापार समझौता भारत के हित को गंभीर नुकसान पहुँचायेगा और यूरोपीयन यूनियन के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इजारेदारी हित को ही मजबूत करेगा।

सेवा क्षेत्र, निवेश और अनाजों की सरकारी खरीद में उदारीकरण

यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौता 'अनाजों की सरकारी खरीद, निवेश और प्रतियोगिता' के सवाल भी फिर से उजागर कर दिया हैं जिसे डब्ल्यू.टी.ओ. के वार्ता में सिंगापुर मुद्दे के रूप में जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन ने विकासशील देशों के पुरजोर विरोध के कारण इसे अलग कर दिया था, जिस विरोध में भारत की एक

नेतृत्वकारी भूमिका थी। सेवा क्षेत्र की बाजारों में उदारीकरण लागू करने से जनता द्वारा चुनी हुई संस्थाओं को अपनी जनता को अच्छी नागरिक सेवायें देने और विकसित करने की उनकी क्षमता को गंभीर धक्का लगेगा। इन सेवाओं के बाजारीकरण से गरीब लोगों को आवश्यक सेवा से वंचित होना पड़ेगा। वैश्विक वित्तीय संकट ने बढ़ते वित्तीय उदारीकरण और वित्तीय सेवाओं के निजीकरण के खतरे को उजागर कर दिया है। ऐसी स्थिति में जबकि दुनिया की सरकारें आज इस क्षेत्र को और भी चुस्त नियमों के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता पर जोर दे रही है वहाँ इसको और उदार बनाने की कोशिश अर्ताकिक और हमारे हितों के विरुद्ध होगा। अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने स्थानीय बाजारों में घूसपैठ कर प्रतियोगिता करने की इजाजत दी जाती है तो इससे भारत के किसानों और छोटे उद्योगपतियों के हितों को भारी नुकशान पहुँचेगा। निवेश में ज्यादा उदारीकरण लाने से सरकार की उन जवाबदेहियों में कटौती हो जायेगी, जिसके द्वारा वह घरेलू क्षेत्र में कुछ ऐसी संस्थाओं के निर्माण में हस्तक्षेप करती है, जो लोगों के लिए रोजगार मुहैया करती है और जो अन्य क्षेत्रों में मूल्यवान सेवा दती है, साथ ही यह निजी निवेशकों के अधिकारों में अत्यधिक वृद्धि कर देगी जबकि सामाजिक दायित्वों और पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति को उनके कर्तव्यों में कमी कर देगी। यह पूँजी पर नियंत्रण पर भी रोक लगाती है, जो वित्तीय संकट के जमाने में अति लघु आर्थिक स्थिरता को कायम रखने के लिये एक महत्त्वपूर्ण औजार है। अपने सेवा क्षेत्रों और निवेश में उदारीकरण लाकर भारत को अपने कुछ उन अति आवश्यक क्षेत्रों का भी निजीकरण करना होगा जो कि हमारे विकास के लिए सरकारी क्षेत्र में रहना आवश्यक है – जैसे पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि। यूरोपीय यूनियन मांग कर रहा है कि सरकार केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सभी स्तरों पर अनाज की खरीद को उनके लिए खोल दे साथ ही सार्वजनिक उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवा क्षेत्रों को भी खोल दे। यह सरकार को गरीबी और असमानता जेसे मुद्दों को मददक के लिए कुछ करने पर छोटे और मझौले उद्योगों तथा सीमान्त ग्रुप के लोगों को मदद करने पर अंकुश लगायेगी साथ ही अनाज की सरकारी खरीद पर भी जो आर्थिक मंदी के समय आम लोगों की मदद के लिए आवश्यक है।

जिस तेजी से यूपीए सरकार उस इजरायल के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की दिशा में बढ़ रही है, जो मानवता के विरुद्ध निर्मम अपराध करने का दोषी है। भारत सरकार का यह कदम बहुत ही निन्दनीय है। इससे इजराइल भारत में रासायनिक खाद और अन्य कृषि – जन्य रसायन, प्रोसेस्ड खाद्य सामग्री तथा कृषि के औजार का निर्यात कर भारी मुनाफा कमायेगा और खाद के कीमतों का नियंत्रण मुक्त होने की पृष्ठभूमि में भारतीय किसान भयंकर कठिनाई का सामना करेंगे क्योंकि इजराइल और अन्य देशों में उपस्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी हमारे किसानों के हितों की कीमतों पर अपार मुनाफा कमायेंगी। यह स्पष्ट है कि यूरोपीय यूनियन, इजराइल और जापान के साथ मुक्त व्यापार समझौता हमारी जनता के जीवन – यापन को बुरी तरह प्रभावित करने जा रहा है और नये रोजगार पैदा करने तथा गरीबी मिटाने के तमाम प्रयाशों पर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जायेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बड़ा धक्का लगेगा और गरीबों को गम्भीर बीमारियों के ईलाज के लिए आवश्यक महत्त्वपूर्ण दवाइयों से महरूम होना पड़ेगा।

भारतीय किसानों को पहले के मुक्त व्यापार समझौतों से बहुत ही नुकशान हुआ है और हम लोगों ने देखा है कि किस तरह बागान क्षेत्र, तेलहन और मछली पालन क्षेत्र के किसानों को इसका बहुत ही उल्टा परिणाम का सामना करना पड़ रहा है। सस्ते चाय, काफी, मसालों, मछली उत्पादन और पास ऑयल के आयात से इसके घरेलू उत्पादन में बहुत बड़ी गिरावट हो गयी है और लोगों के जीवन यापन के क्षेत्र बर्बाद हो गए। ऐसे फसल पैदा करने वाले कुछ क्षेत्रों में किसानों की आत्महत्या की संख्या बहुत बढ़ गयी है। देश के विभिन्न भागों में भारत–एशियान मुक्त समझौते के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन सबके बावजूद सरकार व्यापार उदारीकरण के अपने एजेण्डे को आगे बढ़ा रही है और हमारी जनता के हितों के साथ समझौते कर रही है। इस राष्ट्रीय परिचर्चा में शामिल तमाम प्रतिनिधिगण एवं संगठन देश के किसान, मजदूरों, तमाम गरीबों एवं अन्य मझोले वर्गों से अपील करते है और यह निर्णय करते है कि हम ऐसे किसी भी कदम का पुरजोर विरोध करेंगे जो हमारे देश के हितों और मांगों से समझौता करता है।
हम मांग करते हैं कि–

- मुक्त व्यापार समझौतों और भारतीय किसानों पर उसके प्रभाव पर एक स्वेतपत्र जारी किया जाये।
- संसद और राज्य सरकारों की मंजूरी के बिना कोई भी मुक्त व्यापार समझौता लागू नहीं किया जाये।
- समझौते पर होने वाली वार्ताओं का पूरा ड्राफ्ट सार्वजनिक किया जाये।
- राज्य सरकारों, किसान प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से व्यापक विचार विमर्श किया जाये।
- उन व्यापार अवरोधों और प्रावधानों को मजबूत किया जाये जो भारत के कृषि, डेयरी और आम लोगों के स्वास्थ्य आवश्यकताओं की रक्षा करते हैं।

मुक्त व्यापार समझौते का भारतीय कृषि पर प्रभाव पर परिचर्चा

केन्द्र सरकार की 15 साल से लागू कम्पनी परस्त पूँजीवादी नव उदारवादी नीतियों से हमरो देश की 80 प्रतिशत जनता का जीवन दूभर हो गया है। महँगायी की मार झेल रही जनता पर सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों व रासायनिक खादों की कीमतों में भारी वृद्धि करके और महँगायी का बोझ लाद दिया है तथा कम्पनियों को भारी मुनाफा कमाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों तथा रासायनिक खादों का मूल्य निर्धारण बाजार के हवाले कर दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य का बाजारीकरण करके आम छात्र/छात्राओं को तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया है, सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण करके छंटनी, तालाबन्दी तथा ठेकेदारी को बढ़ावा दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी ध्वस्त किया जा रहा है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के शिकंजे में फंसे कर्जे के बोझ तले दबे किसानों द्वारा लगातार की जा रही आत्महत्याओं को केन्द्र सरकार ने रासायनिक खादों की सब्सीडी में 3000 करोड़ रुपये की कटौती कर और बढ़ावा दिया है।

राष्ट्रीय एवं राजयबीज निगमों में बदहाली की स्थिति पैदा कर विदेशी कम्पनियों को बीजों पर एकाधिकार प्रदान कर उनको रायल्टी आधारित महँगे हाईब्रिड्स जी.एम. तथा अनुवांशिक बीजों की बिक्री की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सीडबिल 2008 लाया गया है जिसमें इंटरनेशनल यूनियन फार दी प्रोटेक्शन ऑफ न्यूवैरायटीज ऑफ प्लान्ट्स – 1991 के तहत किसानों को अपने खेतों के बीजों और पौधों को फिर से रोपने, बढ़ाने, खेतों में दुबारा बोने, बचाने, आपस में अदला–बदली करने, किसी के साथ हिस्सेदारी करने या बेचने के अधिकार से भी वंचित करता है।

विश्व व्यापार संगठन की दोहावार्ता में उत्पन्न हुए विवादित मुद्दों की अनदेखी कर यूरोपियन संघ व इजरायल के साथ केन्द्र सरकार दो पक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर गुपचुप तरीके से अक्तूबर 2010 में हस्ताक्षर करने जा रही है जिसमें करों की शून्यता के कारण यूरोपीय संघ अपने भारी सब्सीडी से उत्पादित कृषि एवं डेयरी उत्पादों को हमारे बाजार में पाट देगा। भारतीय किसानों को पहले के मुक्त व्यापार समझौते से काफी बर्बादी हुयी है सस्ते चाय, कॉफी, मसालने, मछली

तथा पाम ऑयल के आयात से घरेलू उत्पादन में काफी गिरावट आयी है।

अत: अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक का किसान संगठन अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा 4 सितम्बर 2010 को नेहरू युवा केन्द्र निकट नीबू पार्क चौक लखनऊ में परिचर्चा का आयोजन कर रहा है, जिसमें अर्थशास्त्रियों, कृषि विशेषज्ञों, किसानों व किसान संगठनों के नेतागण भाग लेंगे।

झारखण्ड को अकाल क्षेत्र घोषित करो

झारखण्ड राज्य में लगातार 2 वर्षों से जारी सूखा और अनाज की पैदावार नहीं होने के कारण झारखण्ड में अकाल की स्थिति बन गयीं है। वामदलों ने इस संदर्भ में 17 अगस्त 2010 को रांची में बैठक की जिसमें फारवर्ड के राज्य सचिव साथी जयंत कुमार पाण्डेय एवं उमाशंकर पाण्डेय, सीपीआई राज्य सचिव साथी भूवनेश्वर प्रसाद मेहता एवं के.डी. सिंह, माकपा राजय सचिव साथी ज्ञानशंकर मजुमदार एवं प्रकाश विप्लव, आरएसपी राज्य सचिव साथी राधाकान्त झा एवं मार्क्सवादी समन्वय समिति से सुशांत मुखर्जी ने भाग लिया।

बैठक में वामदलों ने राज्यपाल एवं केन्द्र सरकार से मांग की

- झारखण्ड को अविलम्ब अकाल क्षेत्र घोषित किया जाये।
- युद्ध स्तर पर अकाल ग्रस्त लोगों विशेषकर किसानों के लिये राहत पैकेज की घोषणा की जाये।
- किसानों एवं शहरी गरीबों के प्रत्येक एकल परिवार को प्रतिमाह 35 किलो अनाज, खाने-पकाने का तेल एवं किरासन मुफ्त दिया जाये।
- जरूरत की सभी वस्तुएं सस्ते दर पर दुकानों पर उपलब्ध करायी जाये।

टीयूसीसी का मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन

टीयूसीसी के केन्द्रीय कमिटी के आह्वान पर मुजफ्फपुर इकाई ने 14 अगस्त 2010 को जिलाअधिकारी के समक्ष धरना व प्रदर्शन दिया, जिसमें मांग की गई कि कमरतोड़ महँगाई पर रोक लगाओ, खाद्य सुरक्षा सनिश्चित करो, श्रम कानूनों में संशोधन के विरोध में, असंगठित मजदूर के लिसे सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करो, नरेगा में हो रही धांधली एवं नरेगा मजदूरी का भुगतान करो, इंदिरा आवास एवं वृद्धा पेंशन में धांधली बंद करो।

इस धरने को मुख्य रूप से टीयूसीसी बिहार राज्य कमिटी सदस्य साथी अनिल शर्मा ने कहा कि हमारा संगठन पूरे देश में श्रम कानूनों में हो रहे संशोधनों के खिलाफ धरना व प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा फारवर्ड ब्लॉक के साथी राम दयाल राम, साथी राकेश सिंह, साथी मन्सूर आलम, साथी कुशेसर राय, साथी सीताराम दास, साथी नन्द किशोर राय, साथी मछिया देवी व साथी बनारसी देवी ने भी संबोधित किया।

केन्द्र व राज्य सरकार की कारगुजारियों के खिलाफ बिहार में राजनीतिक अभियान

भारत की चारों वामपंथी पार्टियों - अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक, सीपीएम, आरएसपी और सीपीआई - की बिहार इकाई ने 16-22 अगस्त तक भंडाफोड़ सघन अभियान चलाया जिसके दौरान पूरे राज्य में नुक्कड़ सभाएं तथा अन्य छोटी-बड़ी सभाओं का आयोजन किया गया। भंडाफोड़ अभियान के तहत निम्न मुद्दों को उजागर किया गया।

टीवी चैनलों पर एक फिल्मी गीत की यह पंक्ति बार-बार दुहरायी जा रही है: "सखि सईयाँ त खूबे कमात हैं, महँगाई डायन खाये जात है।" इस एक पंक्ति में कमरतोड़ महँगाई की मार से तड़पते आम आदमी की पीड़ा उजागर होती है।

दो साल से दूनी हुई कीमतें:

हो सकता है कि अपने पिछले डेढ़-दो साल में कड़ी मेहनत करके अपनी कामई सवाई या डेढ़ा ली हो। लेकिन इसी डेढ़-दो साल में भोजन और दूसरी जरूरी चीजों के दाम दूने हो गये। इस तरह महँगाई ने आपकी बढ़ी हुई कमाई तो छीन ही ली, पहले वाली कमाई में भी सेंधमारी कर ली।

गेहूँ का दाम 7-8 रु. किलो से बढ़कर 14-15 रु० किलो, चावल 8-10 रु० से 18-30 रु० किलो, दाल 40-50 से 80-100 रु० किलो, डालका, सरसों तेल आदि खाद्य तेलों के दाम 35-40 रु० से 80-90 रु० किलो। सब्जियों के दाम तो मौसम के अनुसार घटते-बढ़ते हैं। उनके दाम में भी मोटा-मोटी दूने की बढ़ोतरी। मांस-मछली-अंडा, दूध-चाय-चीनी आदि सब का यही हाल है। दवाओं के दाम तो इसी डेढ़-दो साल में दूना से भी ज्यादा बढ़ गये। क्या खाये, कैसे जीये आम आदमी ?

90 फीसद भूखे लोग

100 में से 10-15 परिवारों की आदमनी दूनी, तिगुनी या चार-पाँचगुनी बढ़ी है। उनको महँगाई से परेशानी नहीं है। बाकी सब महँगाई से परेशान हैं। योजना आयोग की सुरेश तेन्दुलकर कमिटी ने सर्वे करके बताया है कि हमारे देश में सैकड़ों 87 लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता। यह 2005 की रिपोर्ट है। आज की भीषण महँगाई में तो भूखे पेट सोनेवाले की संख्या और भी बढ़ गयी है और तुन्दुलकर कमिटी का यह आंकड़ा पूरे देश का औसत है, जिनमें पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि जैसे संपन्न राज्य भी

शामिल हैं। बिहार जैसे गरीब राज्य में तो 90 फीसद से ज्यादा लोग भूखे सोने या आधा पेट खाकर गुजर करने को मजबूर हैं।

तेन्दुलकर कमिटी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 100 में 55 परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा गठित अर्जुन सेनगुप्ता आयोग (असंगठित क्षेत्र प्रतिष्ठान आयोग) की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 78 फीसद लोग रोजाना 20 रु० या उससे कम खर्च से गुजर करते हैं। यह भी 2007 की रिपोर्ट है। आज तो उनकी वास्तविक खपत है। इस दृष्टि से भी बिहार का बुरा हाल है। इतने कम पैस में ये गरीब क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे-पढ़ायेंगे, क्या ईलाज करायेंगे?

सरकार द्वारा थोपी गई महँगाई

यह महँगाई डायन आई कहाँ से? यह जानना बहुत जरूरी है यह प्रकृति या ऊपर वाले की देन नहीं है यह केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा आम आदमी पर थोपी गयी महँगाई है। महँगाई भी एक तरह का टैक्स है जो दिखायी नहीं देता। सामान खरीदते वक्त महँगाई के कारण आप जो फाजिल दाम देते हैं, वह किसी के पास जाता है। वह जाता है मुनाफाखोर खुदरा व्यापारी के पास, जमाखोर थोक व्यापारी के पास जाता है और उन बड़े पूँजीपतियों के पास जो नया जमाखोर बने हैं। वे खाद्य पदार्थों और अन्य अनिवार्य वस्तुओं का जखीरा जमा करके, 'कमोडिटी सट्टा बाजार' में इन जखीरों की सट्टेबाजी करते हैं। ये तमाम व्यापारी कीमतें बढ़ाकर जो नाजायज मुनाफा लूटते हैं, उसका एक हिस्सा सरकारी खजाने में टैक्स के रूप में जाता है। हरेक बिक्री पर केन्द्र और राज्य सरकार उत्पाद कर, पेशा कर, बिक्री कर, वैट आदि के रूप ममें उगाहती है सो अलग।

केन्द्र और राज्य सरकार का सबसे बड़ा अपराध यह है कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य खाद्य निगम के गोदामों में लाखों टन अनाज सड़ रहे हैं और गरीब कुपोषण और भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। 1970 के दशक में सरकार ने नीति बनायी थी कि खाद्य निगम किसानों से खाद्यान्न आदि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगा और जन वितरण प्रणाली (राशन की दुकान) के जरिये सस्ती दर पर बेचेगा। खाद्य निगम को जो घाटा होगा, उसकी भरपाई के लिए सरकार 'खाद्य सब्सिडी' देगी। यह आम आदमी को महँगाई की मार से बचाने की एक कारगन नीति थी।

लेकिन 1991 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने विदेशी महाजनों के दबाव में आकर उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण की 'नयी आर्थिक नीति' अपनायी। डॉ. मनमोहन सिंह उस वक्त वित्तमंत्री थे। इस नीति के मुताबिक खाद्य सब्सीडी समेत तमाम सब्सीडियों में कटौती शरू हुई। खाद्य सब्सीडी घटाने के लिए आम आदमी को 'एपीएल' और 'बीपीएल' में बांटा गया। सिर्फ बीपीएल को सस्ता राशन देने की नीति अपनायी गयी। गरीबी रेखा को नीचे गिराकर बीपीएल परिवारों की तादाद घटायी गयी। राज्यों को मिलने वाले अनाज का कोटा घटाया गया। बाद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की वाजपेयी सरकार आयी तो उसने भी इसी नीति को और भी सख्ती से लागू किया।

नतीजा यह हुआ कि सरकारी गोदामों में अनाज का भारी जखीरा जमा हो गया। कानूनन 2.1 करोड़ टन जमा रवाना था वहाँ 6 करोड़ टन जमा हो गया। रखने की जगह नहीं मिली तो आधे अनाज को खुले आसमान के नीचे तिरपाल से ढंककर रखा गया। वाजपेयी सरकार के जमाने में दो लाख टन अनाज सड़ गया, जिसको समुद्र में फेंकना पड़ा। शासन की ताजा खबर यह है कि 17,000 करोड़ रु० का अनाज सड़ गया, लेकिन इस सरकार ने 500 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सीडी बचाने के लिए यह अनाज राशन दुकानों के जरिये सस्ती दर पर बेचने के लिए राज्यों को जारी नहीं किया।

पेट्रोल-डीजल-किरासन की मूल्यवृद्धि

गत मई महीनों में भोजन सामग्री की महँगाई 17 फीसद और आम चीजों की औसत महँगाई 10 फीसद की अभूतपूर्व तेजी से बढ़ रही थी। ऐसी हालत में केन्द्र सरकार आग में घी डालने का काम किया। यह आम आदमी की जेब काटकर सरकारी और निजी तेल कंपनियों का खजाना भरने वाला कदम है। सरकार को मालूम है कि पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ने से सभी चीजों के दाम बढ़ते हैं। तब भी यह कदम उठाकर केन्द्र सरकार ने महँगाई की मार से तड़पते आम आदमी के भूखे पेट पर लात मारी है।

यह सफेद झूठ है कि सरकारी तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है। अव्वल तो सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर भारी टैक्स लगाकर हर साल खरबों रु० उगाहती है। दूसरे, ये कंपनियाँ हर साल सरकार को खरबों रु० का लाभांश के रूप में देती है। इसके बावजूद इन कंपनियों को हर साफल मुनाफा हो रहा है।

दुष्टतापूर्ण दलीलें:

केन्द्र सरकार की दुष्टतापूर्ण दलीलें उसके जन-विरोधी चरित्र को बेपर्दा कर रही है। दलील दी जा रही है कि तेजी से देश का विकास हो रहा है, इसीलिये महँगाई बढ़ रही है। दूसरी दलील यह दी जा रही है कि महँगाई अच्छी है, क्योंकि इससे किसानों को लाभ हो रहा है। दोनों दलीलें बकवास है। यह कैसा विकास है जिसमें करोड़ों लाग भूख से तड़पते हैं और 90 फीसद लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जितने भूखे लोग हैं, उनका एक चौथाई अकेले भारत में है। भारत के बिहार समेत आठ राज्यों की जनता की हालत दुनिया के सबसे गरीब अफ्रीकी देशों से भी बद्तर है। खाद्यान्नों की महँगाई का लाभ भी किसानों को नहीं मिल रहा। व्यापारी उनका माल सस्ता खरीद कर और उपभोक्ता को महँगा बेचकर मालामाल हो रहे हैं। कृषि और किसान तो 15 साल से संकट में है। दो लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए।

हकीकत यह है कि सरकार महँगाई बढ़ाकर किसानों-मजदूरों और आम आदमी की कमाई छीन कर बड़े पूँजीपतियों का खजाना भर रही है। नतीजा यह यहै कि विकास, पूँजीपतियों का हो रहा है। एक ओर गरीबी बढ़ रही है, दूसरी ओर खरबपतियों की संख्या छलांग लगा रही है। देश के 52 खरबपति परिवारों ने देश की एक चौथाई दौलत पर कब्जा कर रखा है।

ऊपर की बातों से जाहिर है कि सरकार की जन-विरोधी नीतियों और सटोरियों-जमाखोरों-मुनाफाखोरों ने देश में भीषण खाद्य संकट पैदा कर दिया है और 90 फीसद लोगों का भोजन का अधिकार छीना जा रहा है। इसके लिए बिहार सरकार भी समान रूप से जिम्मेवार है।

सरकारों ने *अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक, सीपीएम, आरएसपी और सीपीआई* चारों वामदलों का सुझाव नहीं माना

महँगाई का मौजूदा दौर दिसंबर 2008 में शुरू हुआ। तभी तो वामपक्ष इसके खिलाफ लड़ रहा है। जुलाई 2008 तक संसद में यूपीए-1 की सरकार वामपक्ष के समर्थन पर निर्भर थी। तब तक महँगाई नियंत्रण में थी। उसके बाद सरकार वामपक्ष की लगाम से मुक्त हो गयी और महँगाई बढ़ने लगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के संयोजक शरद यादव ने भ एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि वामपक्ष पर निर्भरता से मुक्त होने के बाद मनमोहन सिंह सरकार बेलगाम हो गयी, जिसकी वजह से महँगाई तेजी से बढ़ने लगी।

महँगाई को काबू में लाने के लिए *अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक, सीपीएम, आरएसपी और सीपीआई* चारों वामदलों ने सरकार को सुझाव दिया कि

1. खाद्य पदार्थों और अनिवार्य वस्तुओं की सट्टेबाजी पर रोक लगायी जाये।
2. पेट्रोलियम पदार्थों का दाम हरगिज नहीं बढ़ाया जाये और अगर पेट्रोलियम कंपनियों को राहत देनी ही है तो सरकार इन पदार्थों पर अपना टैक्स घटाये।

3. एपीएल-बीपीएल का विभाजन खत्म किया जाये, जन वितरण प्रणाली द्वारा सस्ते राशन की सप्लाई सबके लिए हो और सरकार राज्यों का राशन का कोटा बढ़ाये, दालें खाद्य तेल आदि भी राशन में शामिल हों।

4. जमाखोरों के गोदामों पर बड़े पैमाने पर छापामारी की जाये और जमाखोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाये।

5. जन वितरण प्रणाली में व्याप्त कालाबाजारी और भ्रष्टाचार खत्म किया जाये और इस प्रणाली को महँगाई की मार से आम आदमी को बचाने का कारगर औजार बनाया जाये।

6. बीपीएल सूची में सुधार किया जाये ताकि कोई भी गरीब परिवार सूची के बाहन न जाये।

7. कृषि संकट का समाधान किया जाये ताकि कृषि पैदावार बढ़े और खाद्य संकट का समाधान हो।

लेकिन वामपक्ष के सुझावों को न केन्द्र सरकार ने माना, न राज्य सरकार ने। इसलिए महँगाई के खिलाफ, खाद्य संकट के समाधान के लिए और भोजन का अधिकार हासिल करने के लिए उपरोक्त मांगों को लेकर आंदोलन चलाने के सिवा कोई चारा न था। वामपक्ष लगातार आंदोलन चलाता रहा है। मिसाल के लिए, पिछले चार महीनों में दो बार वामपक्ष की पेशकदमी पर 'भारत बंद' हुए 27 अप्रैल और 8 जुलाई को। सभी ट्रेड यूयनों के आह्वान पर 7 सितंबर 2010 को देशव्यापी आम हड़ताल होने जा रही है।

बाढ़-सूखाड़ की त्रासदी और लापरवाह सरकार

बिहार कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन चिन्ता का विषय है कि यहाँ की कृषि अत्यंत पिछड़ी है। यहाँ के किसान हर साल बाढ़-सूखाड़ की त्रासदी झेलने के लिए अभिशप्त है।

पिछले साल सम्पूर्ण बिहार सुखाड़ से पीड़ित था। इस संबंध में वामपंथ ने राज्य सरकार को सुझाव दिए थे-

1. सम्पूर्ण बिहार को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाये, लेकिन राज्य सरकार ने सिर्फ 26 जिलों को ही सूखाग्रस्त घोषित किया।

2. वामपंथ ने मांग की एक सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की कालागुजारी माफ कर दी जाये। सभी किसानों के लिए संभव नहीं था तो मध्यम, लघु और सीमांत किसानों की तो अवश्य ही। राज्य सरकार ने किसी भी किसान की मालगुजारी माफ नहीं की।

3. वामपंथ ने मांग की सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के सभी तरह के ऋणों की वसूली स्थगित कर दी जाये और मध्यम, लघु सीमान्त किसानों के ऋण माफ किए जाये। राज्य सरकार ने ऋण वसूली तो तत्काल स्थगित की, किन्तु ब्याज किसी का माफ नहीं किया।

4. वामपंथी न मांग की कि सभी किसानों को सस्ती ब्याज दर (चार प्रतिशत) पर कृषि ऋण दिया जाये। सरकार ने ऐसा नहीं किया।

5. वामपंथ ने कहा कि राज्य में बंद पड़े सभी लगभग 6 हजार सरकारी नलकूपों को चालू कराया जाये ताकि सुखाड़ का मुकाबला किया जा सके, लेकिन राज्य सरकार ने सिर्फ 1719 नलकूप चालू करने का दावा किया।

6. वामपंथ ने कहा था कि सभी अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जाये ताकि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके, लेकिन सरकार एक भी परियोजना पूरी नहीं कर सकी।

7. वामपंथ ने सुझाव दिया कि सोन नहर और अन्य नहरों की मरम्मत और उनका आधुनिकीकरण किया जाये। सरकार यह काम भी नहीं कर सकी।

8. वामपंथ ने सुझा दिया कि सुखाड़ के कारण ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिऐ नरेगा कानून को शिथिल करते हुए काम चाहने वाले सभी मजदूरों को काम दिया जाये, सरकार ने यह काम नहीं किया।

9. वामपंथ ने सुझाव दिया, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूखमरी से राहत दिलाने के लिए सस्ती भोजन की दुकानें खोली जाये। सरकार ने इसे भी नहीं किया।

10. वामपंथ ने मांग की थी कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के मवेशियों के लिए सस्ती दर पर चारा उपलब्ध कराया जाये। सरकार इस काम में भी विफल रही।

वामपंथ के उपर्युक्त सुझावों को अमल में नहीं लाने का परिणाम है कि आज फिर समूचा बिहार सुखाड़ की लौ में झुलम रहा है। इस साल सुखाड़ के कारण अभी तक 1200 सौ करोड़ रुपये का नुकसान किसानों को हो चुका है। राज्य सरकार ने सिर्फ 28 जिलों को सूखा क्षेत्र घोषित किया। इन 28 जिलों मं सरकार की ओर से कोई राहत कार्य नहीं चलाया जा रहा है।

बाढ़ की स्थिति बिहार में और ज्यादा भयानक है। हर साल बाढ़ के कारण यहाँ के किसानों की हजारों करोड़ रुपये की फसल बर्बाद होती है, सैकड़ों जाने जाती है, हजारों पशु पानी में बह जाते हैं, लाखों परिवार बेघर हो जाते हैं, अरबों अरब की सरकारी और गैर-सरकारी सम्पत्तियों की बर्बादी होती है। लेकिन सरकार की ओर से बाड़-सुखाड़ के स्थायी निदान के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है।

अपने साढ़े चार साल की कार्य अवधि में नीतीश सरकार एक भी नयी चीनी मिल नहीं खोल सकी और न ही किसी पुरानी चीनी मिल का जीर्णोद्धार करके फिर से चालू ही कर सकी। सरकार की इस कार्य अवधि में कृषि आधारित उद्योग बिल्कुल उपेक्षित पड़ा रहा।

राज्य में बिजली की स्थिति अत्यंत ही खराब है। सरकार अब तक के कार्यकाल में बिजली की कोई नहीं इकाई खड़ी नहीं कर सकी और न ही बिजली का एक यूनिट भी पैदा कर सकी।

नीतीश सरकार अब तक के अपने कार्यकाल में अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिये सारा दोष केन्द्र सरकार पर मढ़ती रही है। अभी सरकार ने 28 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। पर यह सरकार जनता को कोई राहत देने वाली नहीं है। उसने आठ हजार करोड़ रुपये की मांग केन्द्र सरकार से की है। मदद नहीं मिलने पर केन्द्र पर दोष मढ़कर हमले करने की यह नीतीश सरकार की पूर्व की तैयारी है।

अपराध रोकने का भी ढिंढोरा नीतीश सरकार पीट रही है। पर अब तक के अपने कार्यकाल में पुलिस के बर्ताव में यह सरकार कोई बदलाव नहीं ला सकी है। जिससे एक संगठित अपराधकर्मी के रूप में पुलिस की छवि में सुधार हो सके।

हजारों करोड़ रुपये का वित्तीय अराजकता

लोगों में प्रचार किया जा रहा है कि बिहार में अभी सुशासन वाली सरकार चल रही है, लेकिन सरकार के काले कारनामों से साबित होता है कि यहाँ सुशासन वाली दुशासन की सरकार चल रही है। भारत के महालेखाकार एवं नियंत्रक की रिपोर्ट से यह उजागर हुआ कि 2002-2003 से लेकर 2007-2008 तक सरकारी खजाने से विभिन्न कार्यों के लिए 11,412 करोड़ रुपये निकाले गए जिसके खर्च का कोई हिसाब नहीं दिखाया गया। मामला हाईकोर्ट में भी गया। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले की जांच सी.बी. आई. से कराने का आदेश दिया। यह सरकार 'चोर न सहे इंजोर' वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए तुल गई। सरकार भी पटना हाईकोर्ट पहुँची और उसने इस महाघोटाले की जाँच सी.बी.आई. से न कराने की मांग हाईकोर्ट से की। अगर यह वित्तीय अराजकता नहीं है तो राज्य सरकार सी.बी.आई. से जांच में क्यों घबरा रहीं हैं ?'साच को आँच क्या'

को चरितार्थ करने के लिए सरकार क्यों तैयार नहीं हो रही है ? अनुमान किया जा रहा है कि 2010 तक लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का हिसाब किताब सरकार के पास नहीं है। सी.बी.आई. की जाँच के इस डर से फर्जी भाउचरों के आधार पर राज्य सरकार खर्च का हिसाब किताब महालेखाकार को देने का असफल प्रयास कर रही है।

इतना ही नहीं 'एक तो चोरी, दूसरे सीनाजोरी' वाली कहावत को राज्य सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों में बड़ी बेशर्मी से चरितार्थ कर दिखाया, इस वित्तीय अराजकता में संबंधित मामले को जब विपक्ष ने सदन में उठाया तो सत्तापटल की ओर से उन पर जान-लेवा हमला हुआ। इन हमलों में राज्य सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। दोनों सदनों में वह सबकुछ हुआ जो कभी देखा, सुना नहीं गया। सदन को यातनागृह बना दिया गया। विधानसभा में रातभर धरना पर बैठक विपक्षी सदस्यों को जो यातनाएं दी गयी वह निन्दनीय तो है ही संसदीय लोकतंत्र का कलयुगी चीरहरण भी कहा जा सकता है।

इसके पूर्व में भी एक घोटाना उजागर हुआ जिसे शराब घोटाला कहते है। तत्कालीन विभागीय मंत्री ने जब इस घोटाले की जांच निगरानी ब्यूरो से कराने की मांग की तो मुख्यमंत्री ने उस विभागीय मंत्री को ही मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की सरकार घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों की सरकार है।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक, सीपीएम, आरएसपी और सीपीआई चारों वामदलों ने मांग की है कि-

1. वित्तीय अराजकता की जांच पटना उच्च न्यायालय की निगरानी में सी.बी.आई. से करायी जाये।
2. वित्तीय अराजकता के संबंधित सभी विभागों के मंत्रियों को बर्खास्त किया जाये।
3. इस घोटाले में नामजद आरोपियों के खिलाफ आर्थिक अपराध का मुकदमा चलाया जाये।
4. नामजद आरोपियों की सम्पत्ति को जब्त किया जाये।

भूमि सुधार की दुश्मन सरकार

भूमि सुधार के मामले में नीतिश सरकार राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों के नक्शे कदम पर चल रही है। पूर्व की राज्य सरकारें और वर्तमान राज्य सरकार भूमि सुधार की दुश्मन है। बिहार में अब तक भूमि सुधार संबंधी जो भी कानून बनाये गये या भूमिसुधार लागू किया गया है वह सब वामपंथ के कठिन संघर्षों, बलिदानों और आम गरीबों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना का परिणाम है।

नीतीश सरकार ने शहरी भूहदबंदी कानून को निरस्त करके शुरू में ही भूमि सुधार विरोधी अपने चरित्र को उजागर कर दिया। आम लोगों को भरमाने और ठगने के लिए एक भूमि सुधार आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी अनुशंसाओं के साथ अपनी एक भूमि सुधार आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी अनुशंसाओं के साथ अपनी एक रिपोर्ट सरकार को दी। यह रिपोर्ट नीतीश सरकार के लिए एक कठिन परीक्षा बन गई। रिपोर्ट को लागू करने से मना करके इस सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह भूमाफियाओं, पूर्व सामंतों और बड़े भूस्वामियों की चाकरी करने वाली सरकार है। इसने यह भी साबित कर दिया है कि भूमिहीनों, बटाईदारों और बेघरों की कोई परवाह इसे नहीं है।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक, सीपीएम, आरएसपी और सीपीआई चारों वामदल मांग करता रहा है कि-

1. भूमि सुधार का सख्ती से पालन किया जाये, लेकिन सरकारी नौकरशाह इन कानूनों का भीतरघात करते रे हैं। सत्ता में बैठे राजनीतिज्ञ भी इन कानूनों का माखौल उड़ाते हैं।
2. भूहदबंदी कानून, भूदान कानून, आवासीय भूमि कानून आदि रहने के बावजूद बिहार में 20,95,000 एकड़ भूमि भूमाफियाओं के अवैध कब्जे में है। न उन्हें कानून की परवाह और न सरकार ही उन कानूनों को लागू करने की इच्छुक है। आज भी 22 लाख परिवार भूमिहीन है। 5 लाख भूमिहीन परिवार बेघर है। सरकार को इनकी कोई चिन्ता नहीं है। बिहार में 30-35 प्रतिशत खेती बटाईदारी पर होती है। बटाईदारी, व्यवसाय राज्य की कृषि में बहुत पुरानी है। लेकिन वर्तमान में इस व्यवसाय को संचालित करने के लिये कोई भी कानून व्यवहार में नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले कानून से यह व्यवस्था चलायी जा रही है। वामपंथ चाहता है कि-

1. बिहार में सख्ती और ईमानदारी से भूमी सुधार लागू किया जाये। भूमि सुधार का भीतरघात करने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ, दंडात्मक कार्यवाही की जाये।
2. बंदोपाध्याय भूमि सुधार आयोग की सिफारिशों को शीघ्र लागू किया जाये।
3. प्रत्येक भूमिहीन परिवार को दस डिसमिल आवासीय भूमि दी जाये, भूदान की अवितरित जमीन को भूमीहीनों में बांटा जाये।
4. प्रत्येक भूमिहीन बेघर परिवार को दस डिसमिल आवासीय भूमि दी जाय, भूदान की अवितरित जमीन को भूमिहीनों में बांटा जाये।
5. बेदखल पर्चाधारियों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाया जाये।
6. लम्बे काल से बचे हुए भूमिहीनों को उस जमीन का पर्चा दिया जाए।
7. अदालतों में लम्बित भूमि सुधार संबंधी मामलों का शीघ्र निपटारा विशेष अदालत गठित कर किया जाए।
8. बटाई कृषि व्यवस्था में एक ऐसा कानून बनाया जाय जिसमें जमीन मालिकों और बटाईदारों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी हो।

नीतीश सरकार इन सुझावों में से एक भी सुझाव मानने के लिए तैयार नहीं है, तब ऐसी सरकार को भूमि सुधार की दुश्मन नहीं तो और क्या कहा जाए।

महँगाई के मोर्चे पर सरकार विफल:

महँगाई के मोर्चे पर भी बिहार की जदयू-भाजपा सरकार के कालू कारनामे भी कोई कम नहीं है।

1. सरकार ने राज्य कर घटाकर महँगाई से राहत देने को कोई कदम नहीं उठाया (सिर्फ डीजल के भाव में किसानों को थोड़ी राहत दी जो कुछ ही किसानों को मिल सकी) ।
2. अनिवार्य वस्तु कानून को हथियार बनाकर न तो जमाखोरों के गोदामों पर छापामारी की और न ही किसी जमाखोर को पकड़कर जेल में डाला।
3. महँगाई से राहत दिलाने वाले एक कारगर औजार जन वितरण प्रणाली को काला बाजारी और लूट का अखाड़ा बना दिया। यहां तक कि लाल कार्डधारी अत्यंत गरीबों और पीला कार्डधारी - बेसहारा लोगों के राशन को काला बाजार में बिकने दिया।
4. बी.पी.एल. सूची बनाने में धांधली की खुली छूट दे दी। नतीजा यह हुआ कि नयी सूची में करीब एक तिहाई पुराने लाल कार्डधारियों का नाम गायब है। जिसको लेकर हंगामा मचा है।

16-22 अगस्त अभियान

वामपक्ष की स्पष्ट समझ है कि सशक्त जन आंदोलन से ही केन्द्र और राज्य सरकार को महँगाई पर लगाम लगाने, खाद्य संकट हल करने और सबको भोजन का अधिकार देने के लिए मजबूर किया जा सकता है और महँगाई से पीड़ित जनता की शिरकत से ही जन आंदोलन सशक्त होगा।

विस्थापितों का महासम्मेलन
31 अगस्त 2010, चाण्डिल (झारखण्ड)

भाईयों एवं बहनों,

विस्थापितों के इस महाकुम्भ में आप सभी प्रांतों से आये विस्थापित साथियों को संग्रामी अभिनन्दन के साथ झारखण्ड की क्रान्तिकारी भूमि चाण्डिल में स्वागत है। गणतंत्र भारत के निर्माण के बाद यदि किसी पर ज्यादा हमला हुआ है तो वह विस्थापितों पर हुआ, जिनको जमीन से बेदखल कर उसे खूनी क्रांति की ओर धकेला जा रहा है और इसके कारगर समाधान की बजाय विस्थापितों की और फौज तैयार कर रही है। झारखण्ड के चौबीस जिलों में से चौबीसों जिलों में आज लोग जल-जंगल-जमीन से विस्थापित हो रहे उनके रहने का कोई बन्दोवस्ती पुनर्वास की योजना सरकार के पास नहीं है। कांग्रेस की सरकार से लेकर भाजपा शासित सरकार ने भी उसी खीचें नक्सें कदम पर चलने का काम किया। 1978 से फारवर्ड ब्लॉक के जांबाज सिपाही भोदूमहतो, पहाड़ी महतो को यदि आवाज उठाने के एवज में गोलीयों से भूना गया तो मैथन पंचेत जलाशय योजना के विस्थापितों को पुनर्वासित करने के लिए लड़ रहे का. सुशांतो सेनगुप्ता, डी.डी. पाल एवं संजय सेनगुप्ता को 5 अक्तूबर 2002 की अंधेरी रात में दिन दहाड़े ए.के. सैंतालीस से रास्ते से अलग कर दिया, तो 2008 में दुमका के राजेश्वर उलगुलान मंच के सदस्य होटना सोरेन को पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा और कई निर्दोष व्यक्तियों को झूठे मुकदमों में फंसाकर तंग तबाह किया गया। विस्थापितों के संघर्ष में लाल बाला और बिचौलियों ने भी इसकी जमीन को घसकाने से बाज नहीं है। 1978 के पुनासी जलाशय परियाजना के विस्थापितों को पुनर्वासित करने को लेकर स्थानीय अनुमण्डल प्रशासन व बिचौलियो की मिलीभगत पर अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय महामंत्री और साथी चित्त बसु ने इस अनिमियतता के खिलाफ आवाज बुलन्द किया, जिस पर तत्कालीन बिहार सरकार ने इसके स्पष्ट जाँच के आदेश के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसमें देवघर के अनुमण्डलधिकारी सहित 80 बिचौलियों पर मुकदमा दर्ज किया गया, जो विस्थापितों के पुनर्वास के दलाली कर रहे थे।

मित्रों आज समाजवाद लाओं, पूँजीवाद भगाओ विस्थापितों को पुनर्वास आदि रट सभी लगा रहे हैं, हमें वक्त के साथ इस बात की जरूरत है कि हमें वास्तविक मित्र और शत्रु को पहचान करने की, जो की सबसे कठिन काम है। माफिया और लाल काला बाबू से आपको सजग रहने की जरूरत है। 1955 से आज तक नेहरू आयोग से प्रधानमंत्री राहत पुनर्वास तक अनेकों आयोगों से इसे जोड़ा गया। तो आप देखेंगे कि विस्थापितों की संख्या में कमी नहीं हुई, बल्कि वृद्धि हुई। दामोदर जलाशय परियोजना, निगम में विस्थापितों को पुनर्वासित करने के लिए करोड़ों-करोड़ों रुपये का न्यारा-व्यारा किया लेकिन आज जो आंकड़ों में विस्थापितों के परिवारों की संख्या है वह सिर्फ दामोदर वैली कारपोरेशन वह लाख से ज्यादा जिनकी जमीन का मालिकाना हक को छीन वहाँ से बिजली उत्पादित कर और बड़े-बड़े जल कम्पनी को बुलाकर उनके पानी को बेचा जा रहा है। दूसरे तरफ उनकी जो जमीन शेष रह गया, उनके खेतों में उसके उत्पादित पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जनता का कंठ सूखा है। आज जिन राज्यों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई उसमें अगर सभी ज्यादा कही प्रभावित है तो वह इलाका चाहे डीबीसी को बोकारों, गिरिडीह, जामताड़ा और धनबाद जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मात्र 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कृषि हुआ।

प्रकृति भी इस ड्रामा में तंग आ गई और सबसे ज्यादा प्रभावि किया। वहीं स्थिति पुनाशय जलाशय योजना के समीपवर्ती गांवों का है। हाल के दिनों में पुनासी की जनता ने स्थानीय सांसद के साथ जो काला बिल्ला दिखाकर विरोध जताया जिससे सीख लेने की जरूरत है, जनता अब भूल भुलावा की राजनीति नहीं अब इसका कारगर समाधान चाहती है। जलाशय के विस्थापितों की समस्याओं के समांतर झरिया की जनता की भी समस्या है। जिस पर आज तक कोई कारगर पहल नहीं हो पाई। इंदिरा गाँधी सरकार से लेकर आज तक जितनी सरकार बनी सिर्फ कमिटी और रिपोर्ट तक समिति रहकर उसकी समस्याओं को जस का तस बनाकर कर रखा और उस आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया।

झरिया पुनर्वासित योजना : झरिया पुनर्वासित योजना में सरकार में अनेक आड़े नारे 1960 से देना प्रारम्भ किया। झरिया कोल राजधानी कोल राष्ट्र की राजधानी है। सरकार ने इसके आग बुझाने के लिए अनेकों योजना बनाकर जनता की गाढ़ी कमाई को बंदर बांट कर आलिशान बनाने का काम किया। जिसमें सहयोगी वहाँ के जन प्रतिनिधि भी हुए और इसका समाधान नहीं किया और मुद्दा बनाया गया। कभी आर.एस.पी. कॉलेज तो कभी डी.ए.वी. तो कभी कतरास मोड़ के नाम पर राजनीति किया गया। यह सिलसिला जारी रहा और झरिया बहार के नाम पर सरकार ने जो विज्ञापन में खर्च किया, अगर उसका 50 प्रतिशत भी इस विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित करने के लिए कोई कारगर कदम उठाया होता तो हम समझते है उसका स्थायी समाधान आज निकल आता। जिसमें राजनीति इच्छा शक्ति का घोर अभाव इन लोगों में देखा गया यदि उनकी राजनीति से ऊपर उठकर इसमें काम किया हो तो शायद यह झरिया बिहार के नाम पर जो ड्रामा था वह नहीं होता। अभी एक मनकिया लहजा धनबाद के स्थानीय सांसद ने भूली में जो झरिया बसाने का ड्रामा किया, वह घोर अपमान वहाँ की जनता के साथ जिसका फारवर्ड ब्लॉक ने कड़ा शब्दों में विरोध किया और सब्जबाग दिखाने के बदले इसका समाधान करें। पहले वहाँ के जनता का जमीन कोलियरी खदान के नाम पर लिया गया और सरकार ने धनाढ्य सेठ को और ज्यादा धनाढ्य बनाने का काम किया। बाद में भी गरीबों के ऊपर रोटी कभी कभार छींटने का काम किया। आपको मालूम होना चाहिये कि जिस जनता इस जमीन में कोयला का उत्पादन हुआ उससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। सरकार का मानना है कि सबसे अगर अधिक कहीं राजस्व की प्राप्ति होती है तो धनबाद के कोयलांचल से और उसके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार कदापि बर्दास्त नहीं किया जायेगा।

कई परियोजनाओं, औद्योगिक क्षेत्र बनाने के विस्थापित पुनर्वास नीति का खुलासा के साथ-साथ औद्योगिक जोन बनने के साथ-साथ उसका प्रदूषित वायु को ग्रहण करने वाले क्षेत्र के आम नागरिक को एस.आई.पी. के रूप में दिया जाता है एवं औद्योगिक घराने द्वारा इसका मुफ्त में चिकित्सा व्यवस्था किया जाता है, क्या इसका अनुपालन झरिया में हुआ। इसका जवाब वहाँ के आम नागरिक चाहते है। आज झरिया का आम नागरिक डरे सहमे, कब उजड़ जायेगा झरिया कब भुज में परिवर्तित हो गया इसके समाधान के लिए जनता के बीच में यह भी आवाज उठा रही है। उनमे आज तक जितना पानी की तरह पैसा बहाया गया उसका परिणाम और सामाजिक अंकेक्षण जनता की मांग, जिनको इस मंच से उठाने की जरूरत है।

सम्मेलन से हमारी कोई शिकायत नहीं है अगर उसका समाधान है तो कब तक सरकार टाईम बोण्ड के तहत इसका समाधान कर झरिया वासियों को

पुनर्वासित करेगी। टाल–मटोल की नीति का हम सभी सदैव विरोध करते हैं और आज भी विरोध है।

बोकारो थर्मल – बोकारो थर्मल पावर प्लांट से जहां बिजली का उत्पादन कर बड़े–बड़े कल कारखाने यहाँ के वायु को प्रदूषित करने के साथ–साथ फुसरों ईसरी डुमरी, चन्द्रपुर, बाघमारा, खानूडीह तरंगा आदि इलाके के किसान की जमीन इस परियोजना में चली गयी। वहाँ इस जहरीले धुँआ और कारखाना अवशिष्ट पदार्थों से इसको प्रदूषित कर दिया। बदले 1955 से नेहरूजी के जमाने में लोगों को आश्वासन का छूट मिल रहा है। इसमें जमीन अधिग्रहण के समय सरकार ने जो इसके वादे किये थे उसका पूरा–पूरा भरपाई नहीं हो पाया। लोग इसके जहरीले गैसे से काफी प्रभावित है और वातावरण विनाश के कगार पर सामान्य दिनों जब पूंस की चिलचिलाती जाड़ा होती है उस समय यहाँ का तापमान 32 डिग्री सैल्सियस से ज्यादा होता है। गर्म दिनों में क्या होता होगा इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। बोकारो थर्मल पावर के इलाकों को मिलाकर इससे लगभग दस हजार परिवार विस्थापित हुए जिसमें नाममात्र लोगों को पुनर्वास किया गया। दामोदर का जल इतना प्रदूषित है कि इसके आस–पास के पेड़ पौधे मरूस्थल की भांति कटीली झांडियों में तब्दील हो गया। पर्यावरण विभाग भी इसके इस असंतुलन से खासे नाराज है। यहाँ भी एस.आई.पी. का लाभ लोगों को नहीं मिला है और आमदनी का हिस्सा विस्थापित परिवार आज भी वंचित है।

बी.एस.एल. बोकारो : सन् 1971 में बोकारो चास एवं पुरूलिया, पुनसिया कसमार आदि के इलाके के किसानों ने एक सपना देखा था कि रूस के साथ बोकारों संयंत्र इंजन कारखाना का आधारशिला रखा गया, जिसमें हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया गया। उनको पुनर्वासित करने के साथ–साथ रोजी–रोजगार का सरकार ने वादा किया लेकिन आज तक उसको पूरा करने में सरकार विफल साबित हुई और लोग जमीन से बेघर हुए और पलायन कर रहे हैं और खाना बदोस की जिंगदी जीने को मजबूर हो गये। अनेक संगठनों ने इनको जो–जो सपना दिखाया सब के सब धरा रह गया।

स्वर्ण रेखा परियोजना : स्वर्णरिखा परियोजना रांची से सटा सरायकेला खरावसांव जमशेदपुर चाईबास के लोगों को मुफ्त जल और खेतों में जल उपलब्ध कराने के साथ–साथ सनमाईका उद्योग को ओर अत्यधिक विकसित करने के लिएकिया गया था। इस योजना ने लोगों की गरीबी मिटाने का सपना दिखाया था। गरीबी नहीं मिटी गरीब मिट गये और भोदू महतो और पहाड़ महतों हमसे छीन लिये गये। इस संघर्ष में पुलिस ने जो बर्बरता का परिचय दिया और माफिया लोग सोचे थे इस दहशत से उनका सिक्का जम जायेगा, उस घटना के बाद पूरा इलाका अशांत हो गया और घोर नक्सल के हाथों में हैं, जहाँ आमजनों का जीवन दूभर हो गया। नक्सल कोई समस्या का कोई समाधान है इसका विरोध होना चाहिये, लेकिन मैं वैसी व्यवस्था से भी पूर्णत: असहमत हूँ जो नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए विवश करते हैं। आप अगर उसके वृत्त पर जायेंगे तो देखेंगे की नक्सल की तरह कौन बढ़ रहा है, जो सताये जाते हैं, जिन पर जुल्म ढाया जाता है जो संघर्ष के रास्ते पर से जिनका भरोसा उठ जाता है। वो हथियार वाले के बाबूआना माफिया के पास जाते हैं जहाँ वे इसका समाधान ढूँढते है लेकिन वहाँ भी उनको धोखा मिलता है। स्वर्णरिखा परियोजना के साथ आज जोड़कर राजेश्वर को देखे तो वहाँ जिस तरह से लोगों का रास्ता भटका उसी तरह दुमका राजेश्वर में भी हुआ। जब कम्पनी वाले उनके एक भी सुनने को तैयार नहीं और यहाँ नेता माने जाने वाले बाबुआना भी सौदा की ओर बढ़ने लगे लोगों ने जंगल का रास्ता अपनाया। वहाँ भी शहादत हुई, सरकार बंदू की नोक पर आदिवासियों की खेती उपयोगी जमीन को हड़पने की कोशिश कर रही है। आदिवासी की जमीन को उसी दशा और दिशा को देखकर संताल परगण में जो तीन–तीन सर्वे सेटलमेंट हुआ। मेकफर्सन ओलन बटोर एवं जैंजर सर्वे सेटल मेटल उसमें इसके जमीन का स्थायी बन्दोवस्ती का वकालत किया। सरकार सेंटल में उस टिप्पणी को जिसमें कहा गया था अगर इनके जमीन का खरीद बिक्री या किसी भी अन्य तरीकें से इसको हटाया गया तो लोग कोई अन्य आजीविका कर अपना पालन पोषण कर पायेंगे। इसलिये इसके जमीन के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाये। लेकिन जब जमीन अधिग्रहण सरकार करने लगी वहां जहाँ एक ओर अपने राजस्व अभिलेख की अनदेखी की और पुराना राजस्व रिकार्ड ए मिसील, बी मिसीली का अनदेखी कर फर्जीवाड़ा कर जमीनों का पट्टा बताकर उसके साथ बैठकर बिजली कम्पनी के साथ एकरारनामा किया। जिसका जनता ने एक सिरे से खारिज कर दिया और जनता संघर्ष की ओर आगे बढ़ी। जमीन माफिया भी इसमें वारा न्यारा करने से बाज नहीं आये। अधिग्रहणियों ने अपनी जमीन को पकड़ा और संघर्ष के साथ तैयार हो गये।

रांची के नामकूम में फायरिंग रेंज के नाम पर अधिग्रहण : राँची का सटा बुटु तमाड़ का नामकूम का यह इलाका आदिवासियों का सरना बाहुल्य क्षेत्र जिसमें सरकार आदिवासियों को बिना पुनर्वासित किये और उसको विश्वास में लिए चोर दरवाजें से फायरिंग रेंज बनाना चाहती है जहाँ सेना का आवास भी चलेगा। इसमें सरकार का मंसूबा कितना खराब है इसमे देखने को मिलती है। रांची पहाड़ी है जिस पर फायरिंग रेंज नहीं बनाया जा सकता, जिस जमीन पर किसान फसल का उत्पादन कर अपने आजीविका का पालन पोषण करने के साथ सरकार को राजस्व देता है, वैसे जमीनों से लोगों को बेघर करने के पीछे सरकार पूँजीपति के इशारों पर यह काम कर रही हैं। वहाँ की जनता आज आन्दोलननीति पर है वह साफ कर दिये की हम जान दे देंगे लेकिन वहाँ की जमीन पर फायरिंग रेंज बनाने नहीं देंगे। आज भूमाफिया को जमीन हड़पने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। यहाँ देवता का मंदिर बनायेंगे उसी तरह सरकार राष्ट्र सुरखा के ना पर उनके जमीन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, जिस पर सोचने की जरूरत है। वहाँ का मुद्दा जनता की रोजी–रोटी से जुड़ा है, जिस पर ठोस रणनीति की जरूरत है।

देवघर के पुनासी, सिकरिया बराज एवं बुढई जलाशय परियोजना : विगत् 25 वर्षो से कार्यरत जिसमें विस्थापन पुनर्वास का ड्रामा होते–होते विस्थापित आज के दिनों तंग तबाह हो गए। इस जलाशय में एक गहरी साजिश का हिस्सा लगता है, जिस पर गोड्डा सांसद श्री निशिकांत दूबे जी का दृष्टिकोण बड़ा साफ लगा। अगर वह काम पूर्ण नहीं हो सकता है तो प्रतिवर्ष क्यों सरकार के करोड़ो की राशि का दुरुपयोग किया जाता है। इसके समय सीमा के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। ताज महल की ट्रेडर की भांति यहाँ कितनी सरकार बनी और बिगड़ी लेकिन कोई भी इस काम को पूर्ण नहीं कर पाया और जो उत्पादित जमीन था उसको घेरकर सरकार खेती को चौपट किया, जिसका फिलहाल मुआवजा उनको मिलना चाहिये। एक साथ जो बाकी विस्थापित है उनको पुनर्वासित करने की जरूरत है। इसका सटा बिहार का जमुई जिला का गम्हरिया जलाशय परियोजना में देबीपुर प्रखण्ड के झारखण्ड का कुछ इलाका विस्थापित हुआ उनको सरकार आज तक पुनर्वासित नहीं कर पाई और जो जलाशय से सरकार एवं जनता को फायदा होना है उससे कोसों दूर यहाँ की जनता है। सरकार को इसकी जरूरत है वह काम में गति लाये और एक साथ विस्थापित लोगों को पुनर्वासित करने का प्रबंध करे।

मुख्य राजमार्गों के किनारे दो डिसमिल जमीन का पट्टा : झारखण्ड के बाबूलाल मराण्डी की सरकार में सरकार के मुख्य मार्गों के किनारे बड़े–बड़े झारखण्ड औद्योगिक घराने को बिना शुल्क लिए 2 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने की जो वकालत किया था काफी दुर्भाग्यपूर्ण एवं निजी स्वार्थ से प्रेरित था।

इस जमीन को लोग कल कारखाने के नाम पर हड़पेंगे और उसके सटे जो किसान फसल उगाते हैं उसको नुकसान कर उसके श्रम का दोहन करेंगे और राज्य आर्थिक सतुलन उत्पन्न में सहायक होगी। जिसका विरोध पूरे राज्य में 2002 का हुआ था। फिर सरकार सकारण से हटी। लेकिन उन सब मनसुबों पर पानी नहीं फिरा है, और वह आज भी इसके पूरा करने की फिराक में है तथा किसान और वे जो उस राज्य मार्ग से विस्थापित हुए, उनके पुनर्वास की योजना इनके पास नहीं है और 2 डिसमिल जमीन देकर यहाँ के किसानों को वो आत्महत्या के लिये उत्प्रेरित करेंगे।

रांची का विकास कैसे हो : यह एक पुस्तक है जिसका लेखक झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मराण्डी जी है, जिन्होंने अपनी पुस्तक में जिसमें रांची का विकास कैसे हो, यहां के लोगों का विकास कैसे ?इस पर उनका मनोविचार है विषदंत है जो विस्थापितों की संख्या कम करने की बजाय अधिक करेंगे। उन्होंने पुस्तक में सिलिंग के नियम को तोड़ने की वकालत किया। उनका मानना है कि हमारी जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो पाती है इससे लाचारी हमको यहाँ रहना पड़ता है और अपने विकास में बाधक बनते है। उनका सोच है यहाँ के जमीन को बेचकर बड़े शहरों में यदि बड़ा उद्योग और घर बनाया जाये तो विकास होगा। उन्होंने मुम्बई में घर बनाने में अपने को असमर्थ जताया, उनकी सोच पाँच सितारा होटल के निर्माण, की सोच यहाँ के पाँच सितारा होटल में आया। जमीनी हकीकत से वो काफी दूर है। आज कई बेरोजगारी पूर्ण खेती जिसमें 4 महीना लोगों को खेती के माध्यम से रोजगार मिलता है फिर बाकी दिन लोग पलायन करते है जब उनका शरीर का रक्त मास श्रम के एवज में लिया जाता है आठ माह तक बाद के चार माह में वो अपने जमीन पर श्रम कर 12 माह के लिये अपने परिवार के लिए निश्ंचित हो जाता है। वैसे व्यक्ति को अगर जमीन से बेदखल किया जाय तो इसका क्या परिस्थिति हो सकता है यह सभी बों सोचने समझने की हैं जमीन को बेचकर किसी का विकास सम्भव नहीं है।

झारखण्ड सरकार का 54 विदेशी कम्पनियों के साथ ए.एम.ओ.यू., जिंदल मित्तल, रिलायंस सहित अर्जुन मुण्डा की सरकार पुन: 54 कम्पनियों को यहाँ निवेश करने और कल कारखाने लगाने की जो वकालत किया है और जिस तरीके से किया है उसका विरोध स्वाभाविक है। राज्य विभिन्न परियोजना, औद्योगिक क्षेत्र, कोयला खादान, राजमार्ग से जो विस्थापित हुए सरकार उसको अभी तक पुनर्वासित नहीं कर पायी और यहाँ 54 कम्पनियों के साथ जो ए.एम. ओ.यू. किया गया है उससे सरकार बिना स्वेत पत्र जारि किये विस्थापन पुनर्वास नीति बनाये सकारात्मक किया है, जिसका विरोध करती है और अविलम्ब रद्द करने की मांग करते हैं।

जेल में बंद राम प्रसाद सिंह सहित अन्य लोगों के ऊपर डीवीसी प्रबंधन द्वारा जो मुकदमा दायर किया गया है उसको अविलम्ब वापस कर रिहा करने की मांग रखती है। साथ ही विस्थापित के लिएसे श्रम मंत्रालय की तरह एक अलग मंत्रालय एवं न्यायालय का गठन किया जाये जहाँ इस तरह के विस्थापितों की समस्याओं को सुना जा सके।

महिला सशक्तिकरण की अत्यन्त आवश्यकता : साथी डॉली राय

अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति की असम राज्य सम्मेलन का आयोजन गौरी सदन, गुवाहाटी में 25 अगस्त 2010 को हुआ। जिसकी अध्यक्षता साथी अंजू देबी ने किया। साथी डॉली राय, विधायिका एवं केन्द्रीय सचिव सदस्य एवं महिला समिति की स्थापना समिति सदस्या साथी लीलावती ने देश में महिलाओं के कर्त्तव्यों और अधिकारों को प्रति उद्‌बोधन दिया।

साथी डॉली राय ने कहा कि आज आदिवासी, असंगठित मजदूर के रूप में कार्यरत, घरों में कार्यरत, चाय बागान में कार्यरत महिलाओं को कार्य का समान पुरस्कार मिलना चाहिये। उन्हें उनके कार्यस्थल पर पूर्ण सुरक्षा के मिलनी चाहिये। शिक्षा का अधिकार से आजतक वंचित है जो उन्हें मिलना चाहिये। आरक्षण की सुदृढ व्यवस्था होनी चाहिये। इन सबके लिये हमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के एकता, विश्वास और बलिदान की भावना से प्रेरित होकर सशक्त महिला आन्दोलन का आह्‌वान करना होगा।

सम्मेलन में 17 सदस्यीय राज्य कमिटी का चुनाव किया गया। जिसमें साथी अंजू देवी (अध्यक्षा), साथी विनोबा बोरो, साथी कल्याणी सिंह, साथी पुण्या बोरा (उपाध्यक्षा), साथी बिना विश्वकर्मा (महासचिव) साथी पुनाकी मडोक, साथी बिजु गोहेन, साथी मिना दास (सचिव) और साथी पदुमी मुण्डा (वित्त सचिव), साथी हिरादोई गोगोई, साथी ज्योतना मोदाई, साथी गुणाबाटी भुयान, साथी अमिती भुयान, साथी सरूमल गोगोई (साथी सुनिता बर्मन, साथी भाना साइकिया, साथी बबोटी चक्रवर्ती, साथी मिनोटी ताप्ना, साथी प्रतिमा डोले चयनित की हुई।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक असम राज्य महासचिव साथी रत्नेश्वर गोगोई ने पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया एवं कार्यक्रम को संबोधित करते हुये चयनित कमिटी को बधाई दी।

ऑल इण्डिया यूथ लीग
राष्ट्रीय सम्मेलन
27-29 नवम्बर 2010, धनबाद

अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति
राष्ट्रीय सम्मेलन
4-6 दिसम्बर 2010, कोलकाता

अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा
राष्ट्रीय अधिवेशन
19-21 दिसम्बर 2010, पटना

ऑल इण्डिया स्टुडेन्ट्स ब्लॉक
राष्ट्रीय सम्मेलन
10-12 दिसम्बर 2010, कानपुर

टी.यू.सी.सी.
राष्ट्रीय सम्मेलन
25-27 नवम्बर 2010, धनबाद

जन संगठनों के पश्चिम बंगाल इकाई की सम्मेलन सूची

वर्ग संगठन	सम्मेलन की तिथि	स्थान
माध्यमिक शिक्षक संघ	25-26, सितम्बर 2010	पुरूलिया
ऑल इण्डिया स्टुडेन्ट्स ब्लॉक	1-3 अक्तूबर 2010	कानजी, उ. दिनाजपुर
टी.यू.सी.सी.	20-22 नवम्बर	मुर्शिदाबाद
ऑल इण्डिया यूथ लीग	19-21 नवम्बर	पाँचला, हावड़ा।
अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा	28-30 नवम्बर	कूच बिहार
अग्रगामी आदिवासी समिति	27-28 नवम्बर	पुरूलिया
प्राथमिक शिक्षक संघ	25-27 अक्तूबर	बीरभूम
भारतीय लोक संस्कृति संसद	दिसम्बर माह में।	
कृषि श्रमिक यूनियन	13-14 नवम्बर 2010, बालूरघाट, द. दिनाजपुर।	